गुदड़ी के लाल

भाग – 03

सेवा-साधना-क्रांति

सेवा मंदिर

मांगू सिंह रावत

गुदड़ी के लाल

भाग – 03

लेखक
मांगू सिंह रावत

सेवा मंदिर

स्वत्वाधिकार © सेवा मंदिर, 2024

First Edition 2024

सर्वाधिकार सुरक्षित है। प्रकाशक की लिखित स्वीकृति की सूचना के साथ, बिना इस पुस्तक का कोई भी भाग पुनर्मुद्रित नहीं किया जा सकता । न ही किसी भी रूप में किसी भी साधन से, इलेक्ट्रोनिक या मेकेनिकल या फोटोकॉपी, रिकार्डिंग या कैसी भी सूचना भंडारण या पुनर्प्राप्ति व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है।

सेवा मंदिर, उदयपुर के सहयोग से प्रकाशित।

सेवा मंदिर

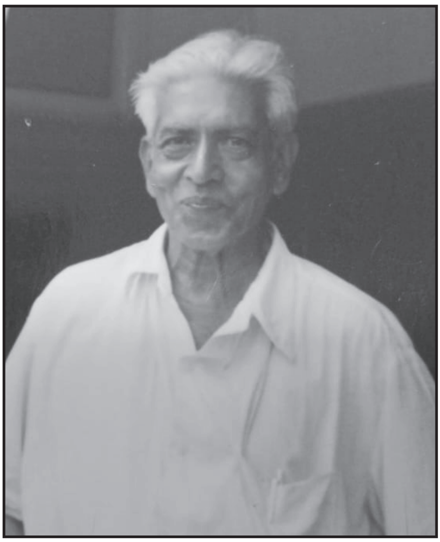

स्व. श्री उम्मेदमल लोढ़ा

की स्मृति में श्रद्धांजलि-स्वरूप

(17.10.1924 - 12.02.1999)

अनुक्रमणिका

	आभार		07
	उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट		09
1	संतोष कुंवर भाटी	– धीरे-धीरे चल पड़ा पर्यावरण बचाने का	19
2	लीला देवी	– जंगल में लकड़ी चोरों को रोका	23
3	धीराराम कपाया	– सागवान सी खुशबू फैलाता गया	28
4	भूरकी बाई	– आगे बढ़ती रही, नई राहें गढ़ती रही	32
5	कीर्तन कुमार	– कभी हार न मानने वाला युवा	36
6	केसर सिंह सोलंकी	– हमको जाजम संस्कृति लुभाई	43
7	किशनलाल वडेरा	– पर्यावरण मित्रों के जीने का आधार	46
8	भोपलाल खोखरिया	– मालपुर में की अगुवाई	50
9	देवीलाल	– सत्याग्रह के नायक	55
10	उदयलाल सुथार	– पर्यावरण मित्र के रूप में उदय	59
11	धूलाराम खराड़ी	– झाबला का सतत् नेतृत्वकर्ता	63
12	मदनलाल भील	– सामाजिक बदलाव का भाव जगाया	67
13	सूरजमल गमार	– मेरे संघर्ष का यह आधार	72
14	अर्जुन सिंह	– पानी और वानिकी समृद्धि से	75
15	रामलाल पारगी	– बचपन में बहादुर रामलाल	79

आभार

सर्व श्री अजय. एस. मेहता प्रन्यासी उम्मेदमल लोढ़ा ट्रस्ट की प्रेरणा से एवं श्री रोनक शाह मुख्य संचालक सेवा मंदिर एवं महासचिव श्री नरेन्द्र जैन के मार्गदर्शन के साथ ही सेवा मंदिर जन प्रबंध विद्यालय की प्रभारी श्रीमती कविता शेखावत तथा उनकी पूरी इकाई के कार्यकर्ताओं के अविस्मर्णीय सहयोग हेतु आभार प्रकट करता हूँ।

गुदड़ी के लाल भाग-03 की कहानियों के रचयिता साक्षरता संदेश के संपादक श्री मांगू सिंह रावत के अथक प्रयासों से ही यह प्रकाशन सम्भव हो पाया है। पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त स्थानीय नेतृत्व ने पुस्तक की रचना में अपना साक्षात्कार एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध कराकर मांगू सिंह रावत को सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। चित्रात्मक शैली (कार्टून) में लड़के-लड़कियों तक इन कहानियों की रचयिता लेखक व शिक्षाविद श्रीमती रिद्धि शाह ने प्रथम सराहनीय प्रयास किया, जिससे बच्चों की पठन सामग्री हेतु उदयलाल जी की प्रेरक कहानी तैयार की है, इस हेतु इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह कार्य सानन्द सम्पन्न नहीं होता यदि श्री संजीव जैन (सामुदायिक संस्था कार्यक्रम), टाइपिस्ट पवन वैष्णव तथा लालचन्द डाँगी का अमूल्य सहयोग नहीं मिलता, इसलिए इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ।

हेमराज भाटी
अध्यक्ष
उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट

उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट

उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट का गठन जून 1999 में मूर्ति मंत्र स्व. श्री उम्मेदमल लोढ़ा की स्मृति में किया गया। राजस्थान सरकार में 30 वर्षो से भी अधिक समय तक काम करने के पश्चात् 1982 में स्व. श्री लोढ़ा उधान विभाग में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत हुए। उसके बाद, वे बिड़ला सीमेंट वर्क्स जोधपुर से जुड़े। वहाँ उन्होनें वृक्षारोपण द्वारा बंजर भूमि विकास का कार्य किया । 1985 में, सेवा मंदिर के संस्थापक डॉ. मोहन सिंह मेहता के आग्रह पर वे सेवा मंदिर आए। सेवा मंदिर में उन्होंने, वानिकी विकास कार्यक्रम का स्वरूप विकसित करने एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका निधन 31 दिसम्बर 1998 मे हुआ । श्री उम्मेदमल जी की मृत्यु के उपरांत सेवा मंदिर में उनके उत्तराधिकारी श्री एस.एन. भिस्से सा. के नेतृत्व में उनके अंतरग सहयोगियों एवं परिवारजनों के सहयोग से उनकी स्मृति में उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना एक ऐसे नागरिक और नागरिक समूह - मनुष्य के सम्मान में की गई, जिसने अपने जीवन में अपने काम की मान्यता और प्रसिध्दि पाने की अभिलाषा नहीं पाली और न ही उन्हें इसे प्राप्त करने का दुःख था। ट्रस्ट का पहला सम्मान समारोह का आयोजन सन् 2000 में किया गया जो अनवरत चलते हुए आज 12 फरवरी 2024 को अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है और रजत जयंती मना रहा है।

ट्रस्ट के उद्देश्य :-

- इस विषय में शोध, समझ एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करना कि, नागरिक किस प्रकार सामाजिक संरचनाओं को रूपान्तरित कर सकते

हैं और समाज को अधिक लोकतांत्रिक व समतावादी बना सकते हैं ।

- त्रणमूल स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में किये गये कार्यो के निष्कर्षों को नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना ।

ग्रामीण मुखियाओं को दिये जाने वाला सम्मान:-

उम्मेदमल लोढ़ा ट्रस्ट अपने द्वारा स्थापित सम्मान के माध्यम से पर्यावरण ,ग्रामीण क्षेत्रों मे आजीविका की स्थिति में सुधार और ग्रामीण समुदायों के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने वाली पहल को बढ़ावा दे रहा है। ग्राम मुखियाओं को दिये जाने वाले सम्मान में नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र सार्वजनिक समारोह में प्रदान किया जाता है। लोगो तक ले जाने और अनेकों ग्राम समुदायों को इन्हें अपनाने के पात्र है। समय एवं कार्यानुभव के आधार पर सामूहिक भूमि, वन भूमि पर किये गये पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यों के साथ-साथ जल विकास, बंजर भूमि संवर्धन व संरक्षण आदि पर किये गये कार्यो को भी सम्मिलित किया गया है। इन ग्रामीण मुखियाओं के ग्राम स्तर पर सर्मपण भाव, उल्लेखनीय साहस प्रदर्शित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन के लिए सक्रिय व सफलतापूर्वक काम किया है जिससे गांवों के नागरिकों का सामूहिक सशक्तिकरण हुआ है।

विगत् वर्षो में, ट्रस्ट ने सेवा मंदिर के सहयोग से 190 सम्मान प्रदान किये है। 2005 से प्राकृतिक संसाधनों के विकास से जुड़ी दक्षिणी राजस्थान के सभी संस्थाऍ स्वैच्छिक, वन विभाग एवं पात्र व्यक्ति सम्मान के लिए आवेदन कर सकते है।इस वर्ष सिल्वर जुबली के अवसर पर ट्रस्ट को यह कहते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब सम्पूर्ण राजस्थान आवेदन करने के पात्र हो सकते है।

चयन प्रक्रिया:- पारदर्शी एवं विश्वसनीय चयन सुनिश्चित करने के

लिए एक सख्त विशेषज्ञ टीम आधारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिसके तहत् सेवा मंदिर के वानिकी कार्यो के प्रखण्डों से वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम समूहों के प्रस्ताव दक्षिणी राजस्थान में कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थाओं एवं वन विभाग की वन सुरक्षा समितियों के प्रस्ताव आन लाईन और ऑफ लाईन आंमत्रित करते है। उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट एक तकनीकी एवं अनुभवों से दल एक चयन समिति का गठन करता है। चयन समिति दल प्रत्येक प्राप्त आवेदनों का बारीकी से प्राथमिक निरीक्षण कर उनकी पात्रता का चयन करता है इसके बाद धरातलीय कार्य का सत्यापन कर प्रस्ताव कार्य समिति को प्रेषित करता है।

विगत् वर्षो में सम्मानित व्यक्तियों एवं समुदायों पर प्रकाशित पुस्तकें:-

सेवा मंदिर द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकें गुदड़ी के लाल एवं सिल्वर फॉडर (अंग्रेजी में) उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार विजेताओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का चित्रण करती है।

1. **गुदड़ी के लाल** नंदिता राय द्वारा रचित ये व्यक्तित्व चित्रण राजस्थान के दूर दराज और बंजर इलाकों के ग्रामीणों के जीवन -संसार की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते है। ये चित्र दर्शाते है कि, सच्चे नेतृत्व के गुण केवल प्रमुख स्थानों तक ही सीमित नहीं बल्कि ये साधारण और यहां तक की सीमांत स्थिति में जी रहे लोगो तक में भी सम्मान रूप से पाये जा सकते है। जिस धैर्य और सरोकार के साथ नंदिता ने इस कठिन और महत्वपूर्ण काम को पूरा किया है, उसके लिये उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

2. **सिल्वर फॉडर :-** गुदड़ी के लाल, की अगली कड़ी के रूप में यह पुस्तक फिरोज अर्दालन द्वारा लिखी गई है। अपने प्राकृतिक संसाधनों

के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अत्यन्त निर्धन एवं वंचित ग्रामीणों के संघर्ष एवं प्रतिबद्धता का इस पुस्तक में सुन्दर चित्रण किया गया है।

3. **श्री मांगू सिंह रावत** द्वारा रचित ये व्यक्तित्व चित्रण को गुदड़ी के लाल भाग-3 पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। जिसमें सच्चे नेतृत्व गुण वाले 15 साधारण अगुवाओं का चरित्र चित्रण है। यह पुस्तक ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्यावरण पर कार्य करने वाले नेतृत्वकर्ताओं को प्रेरणा एवं एक सीख प्रदान करेगी। इन वर्णित सभी नेतृत्वकर्ताओं ने अपने गांव के समस्त नागरिकों को जाजम पर बैठाकर परस्पर बातचीत करने का समान अवसर प्रदान किया तथा अपने गांव वार स्थानीय परिस्थितियों व उपलब्ध सामूहिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) की स्थिति पर चर्चा की । उनके गांव के वर्तमान एवं भविष्य के सामूहिक हितों को ध्यान में रखा। उनके संरक्षण संवर्धन और प्रबंधन पर निरन्तर संवाद कर टिकाऊ व्यवस्था और उसकी टिकाऊ प्रक्रिया विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया। संस्था ने नेतृत्वकर्ताओं को उनमे निहित क्षमताओं व दक्षताओं की बैठकों, सम्मेलनों, पदयात्राओं विषय विशेषज्ञों की वार्ताओं का आयोजन सामूहिक कार्यक्रमों शिक्षण प्रशिक्षणों में भाग लेकर पहचान कराई। साथ ही सेवा मंदिर के प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने हेतु और आवश्यक क्षमताओं दक्षताओं और जानकारी से अवगत कराने का समय समय पर समान अवसर प्रदान कियें। इन मुखियाओं के जाजम पर नागरिकों के साथ संस्थान में एक टीम विकसित हुई, इस टीम में स्थानीय पेशेवर कार्यकर्ता शामिल किए गये।

जब कार्य हेतु वित्तीय साधन, स्थानीय और पेशेवर कार्यकर्ता की टीम जिम्मेदार नेतृत्व जगत सा., अजय सा. विषय विशेषज्ञ उम्मेदमल जी लोढ़ा, पेशेवर कार्यकर्ता नीलिमा खेतान एवं क्षेत्र में काम करने वाले

स्थानीय कार्यकर्ता उपलब्ध थे । वहीं दूसरी ओर गांव में कुशल नेतृत्व उभर कर कार्य को करने की अगुवाई से संवाद जारी रख रहा था परन्तु गांव मे सामूहिक वानिकीय कार्य करने की जगह नही बन पा रही थी। जब इस समस्या के संदर्भ में गहराई से विश्लेषण किया तो पता चला कि गांव समूह के सदस्यों में बिखराव और टूटन की समस्या उभर कर सामने आयी। गांव की सामूहिक भूमि चरागाह भूमि ग्राम पंचायत की मल्कियत थी और गांव के प्रभावशाली लोगों के नाजायज कब्जे थे और वन भूमि की मल्कीयत वन विभाग की थी परन्तु उस पर भी प्रभावशाली व्यक्तियों के नाजायज कब्जे थे। अतः उन पर कार्य करने हेतु सामूहिक जमीन उपलब्ध नहीं थी ।अतः चरागाह की जमीन पर वानिकीय कार्य करने हेतु ग्राम समूहों को सभी संबन्धित घटकों के मोंचे पर लड़ना पड़ा। वही भारत सरकार की ग्राम समूह को वन भूमि पर कार्य करने वन सुरक्षा समिति का गठन कर साझा वन प्रबन्ध समिति के तहत् कार्य करने का अवसर गांव समूहों को मिला परन्तु वन विभाग की एक निश्चित गाइड लाईन के साथ कार्य करने की अनुमति वन विभाग से मिल सकती, उसको गांव वासियों की क्षमता एवं जानकारी का अभाव था वहीं स्थानीय वनपाल और केटल गार्ड एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर भी गाईड़ लाईन की समझ अलग अलग थी वही वन भूमि पर गांव के प्रभावशाली लोगो के नाजायज़ कब्जे थें।

सेवा मंदिर द्वारा निजी भूमि,निजी सामूहिक भूमि एवं चरागाह भूमि पर किये गये कार्यो से ग्राम समूह का आत्मविश्वास और संस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई पंचायत भूमि (चरागाह) भूमि पर ग्राम विकास पंचायत और वन विभाग ने मिलकर 5 वर्षो हेतु पौधरोपण का काम व भूमि पर चारों और पत्थर की दीवार पशुओं से सुरक्षा हेतु, निर्माण का कार्य कराया गया। यह कार्य का विस्तार वन भूमि के साथ जुड़ी चारागाह भूमि पर भी कार्य गति पकड़ने लगा परन्तु 5 वर्ष वन विभाग

की सुरक्षा का अनुबंध ग्राम विकास पंचायत से समाप्त हो जाने पर पुनः निकली चरागाह भूमि पर कब्जा पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया। परन्तु ग्राम पंचायत के पास सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प नहीं था और पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव से वोट के लिए रातों रात पुराने पेड़ और नये विकसित पेड़ो को उनका पंचायत के लोगों ने काट कर नष्ट कर दिये साथ ही परकोटा तोड़ कर पुनः पशुओं की खुली चराई कर दी गयी। ग्राम समूह को भी एन. ओ. सी. ग्राम पंचायत से मिली 5 वर्ष तक भूमि विकसित होने पर पुनः एन.ओ.सी मिल गई । पर पौधरोपण और पत्थर का परकोटा के निमार्ण के बाद उसकी सुरक्षा की स्थानीय व्यवस्था की गई जैसे प्रति परिवार एक दिन सुरक्षा का जिम्मा लेगा जिसके तहत् सूईया प्रथा शुरू की गयी। कुछ ग्राम समूह ने वर्ष मे परिवार अलग निश्चित मात्रा में थे उन्हें एकत्रित कर चौकीदार के परिवार को देने की व्यवस्था कर सुरक्षा की व्यवस्था की ।चारागाह भूमि की सुरक्षा व खुली चराई की व्यवस्था पर प्रतिबंध से चारा पैदा होना आरम्भ हो गया जिससे ग्राम समूह के प्रति परिवार से चारा कटाई अलग-अलग रूप में स्थानीय व्यवस्था की जैसेः- प्रति परिवार से प्रतिदिन कितने सदस्य चारा काटने जाएेगें ? परिवार के सदस्य एक से अधिक जाने पर प्रति दस पुला में से एक पुला गांव समूह के पास जमा करावें। ग्राम समूह की एवं लोगो की इस सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आस्था बनने लगी ग्राम समूह और ग्राम विकास पंचायत के आपसी संबंध मजबूत होने लगे। जिन गांवों के जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन मे सत्ता बदलने पर कुछ तो अगले 5 वर्ष हेतु स्वतः ग्राम समूह के आवेदन पर एन. ओ. सी. दे दी ।परन्तु कुछ पंचायतो ने ग्राम समूह को एन. ओ. सी. देने में आना कानी करने लगे, उनके साथ ग्राम समूह और उस क्षेत्र के ग्राम समूहों ने मिलकर संयुक्त बातचीत कर ग्राम पंचायत पर दबाव डालने पर पुनः सहमति दे दी गयी। अतः यह व्यवस्था भी कायम हो गयी जो सतत् जारी है।

संस्था ने ग्राम समूहों के सामूहिक नेतृत्व के सदस्यों,साझा वन प्रबंध समिति के सदस्यों और ग्राम पंचायतों में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व के मध्य आपसी संवाद और शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम से एक साझी समझ बनाने का प्रयास किया। दोनों के सामूहिक कार्यो के कारण एक दूसरे के प्रति विश्वास बनने लगा इससे सामूहिक भूमि के विकास ग्राम समूह के ईमानदारी व जिम्मेदारी से सामूहिक निःस्वार्थ नेतृत्व का प्रभाव नागरिकों पर पड़ने लगा। नाजायज़ कब्जेधारियों व ग्राम समूह के बीच बार-बार बातचीत जारी रही कब्जेधारियों की वास्तविक दिक्कते जैसे चारागाह भूमि के मध्य उनका घर का स्थित होना, खेत की सीमा से सटी चरागाह भूमि होने और दीवार बन जाने पर उनके मवेशियों को विशेष कर बैलो को छोड़ने हेतु जहां पहले पूरी भूमि उपलब्ध थी वहां अब वह खुली जगह का बंद हो जाना। सीमा पर स्थित घर होने पर उसके चारों ओर भी मवेशियों को खुल्ला छोड़ने हेतु उस घर के तीनों ओर एक रस्सी की जगह छोड़कर तीनो तरफ कोट दीवार का निर्माण कराकर घर की और सीमा से बाहर करना आदि स्थानीय स्तर पर समझौता करके उनके कब्जे छुडवाने का प्रयास किया। जिस परिवार के पास पहले से ही पर्याप्त जमीन है इससे ग्राम समूह और ग्राम विकास पंचायत तथा आवश्यकता पड़ने पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से मदद लेकर उनके कब्जे भी छुडवानें का प्रयास किया। इस प्रयास में ग्राम समूह और संस्था के कार्यकर्ताओं दोनों की परस्पर सतत् बातचीत करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 2 से 5 वर्ष तक का भी समय लगता था। वहीं दूसरी ओर जो समूह की भूमि कब्जा मुक्त हो गयी उस पर पौधरोपण और पत्थर की कोट बाउण्ड्री बनाने का कार्य सतत् चलता रहा। इससे ग्राम समूहों को संस्था कार्यो के प्रति विश्वास निरन्तर कायम रहा और पड़ोसी गांव समूह का भी कब्जेधारियों को महसूस होने लगा कि अंत में कब्जा छोड़ना होगा। उन्होनें नाजायज़ कब्जा भूमि से कब्जा छोड़ दिया और गांव के सामुहिक हित में वानिकीय कार्य किया। ग्राम

समूह में वानिकीय कार्य की देखरेख एवं उत्पादों की समान वितरण की भी व्यवस्था बिठाई।

संस्था बड़े क्षेत्र में होने से, संस्था के रचनात्मक कार्यो की सीमाओं के फलस्वरूप साझा वन सुरक्षा समिति की स्थानीय नागरिकों के साथ एक साथ नाजायज कब्जा वन भूमि से हटाने का कब्जाधारियों से बातचीत करने की पहली भूमिका को निभाने का संवाद व पहल करना कठिन हो गया ।अतः गांव के नागरिकों की सीमा संस्था से अधिक लम्बी और खुलापन होने से वे प्रशासनिक, राजनैतिक, वन विभाग और संस्था से बातचीत करने की पहल कर सकते है।क्योंकि गांव के नागरिकों का सामूहिक हित और अहित दोनों इससे जुड़ा हुआ है। अतः ग्राम साझा वन प्रबंधन समितियों को सभी स्टेक होल्डर से करने का नीतिगत उपलब्ध था।वानिकीय के इस बढ़ते काम को संगठित रूप से करने हेतु वन उत्थान संध का गठन कर उसे पंजीकृत कराया। प्रारम्भ में झाड़ोल (फ.) तहसील में 40 गांवों की साझा वन प्रबंध समितियाँ उत्थान संघ की सदस्य बनी ।वर्तमान में 100 से अधिक गांवो की समितियां इसकी सदस्य है।

वन उत्थान संघ :- भारत सरकार की साझा वन प्रबंधन की नीति के तहत् गांव श्यामपुरा कला से प्रेरणा लेकर झाड़ोल तहसील के अन्य गांवों में ग्राम समूह को साझा वन प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया गांव अगुवा और ग्राम समूहों में गठन होना आरम्भ हुआ।

साझा वन प्रबंध का वन उत्थान संघ साझा वन प्रबंध समिति के सदस्यों एवं गांव के आम नागरिकों ने देख कर यह समझ में आया कि वन भूमि पर वे वानिकीय कार्य कर सकते है और उसका संरक्षण कर सकते हैं। अपने गांव के हित को ध्यान में रखते हुए उसे खुर्द बुर्द नहीं किया गया। फिर किसी भी ग्रामवासी ने पुनः निजी नाजायज कब्जा नही

किया है। वन विभाग को गांव की सामूहिक गांववासियों की जिम्मेदारी उठाने एवं जंगल के क्षेत्र में वृद्धि करने में उनकी महती भूमिका निभाई है। अतः जब जहां एक ओर भारत सरकार पर जंगलात की जमीन पर वहां के निवासियों के निजी नाजायज कब्जों को कानूनन पट्टा देने का दबाव पड़ रहा था उसके समाधान हेतु सन् 2006 में भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया ।इसमें वन क्षेत्र में सामुहिक जैसे स्कूल,अस्पताल आदि कार्यो हेतु भी पट्टे देने के साथ यदि गांव सामुदायिक भूमिका भी पट्टा लेने का प्रावधान किया। वन उत्थान संघ ने गांव की वन सुरक्षा समिति नाजायज कब्जाधारियों से वार्ता कर कब्जा मुक्त करा करके गांव के सामूहिक हित को गांव के नाम पर सामुहिक पट्टे का आवेदन कर नियमानुसार लगभग 200 से अधिक पटट्े दिलवाने में महत्ता कार्य किया। आगे गांव के अगुवाओं को उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन की जिम्मेदारी लेने का कार्य अभी से आरम्भ कर देना होगा। स्टेक हॉल्डर की संयुक्त बैठक करना, वन नाका, रेंज स्तर पर वन उत्थान संघ की अगुवाई में करना आरम्भ किया। गांव-गांव समूहों की और वन विभागों के स्थानीय कर्मचारियों की साझी समझ बनाने का सतत् प्रयास किया गया तथा साझा गांव में व्यक्तिगत से चारागाह एवं वन भूमि पर संयुक्त कार्य दल बनाकर वन संरक्षण, संवर्धन एवं आग को बुझाने का व्यवहारिक रूप से कार्य करने हेतु वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को क्षमतावर्द्धन और प्रेरित करना है।

साझा वन प्रबंध की भारत सरकार की नीति ने प्रत्येक राजस्व गांव के समस्त परिवारों को जो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, गौत्र, गरीब, अमीर अपेक्षाकृत किसी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य हो वे सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के कारण अलग-अलग है परन्तु सभी नागरिक है। उस वन भूमि से लाभान्वित है। नागरिक की हैसियत से एक जाजम पर बैठकर बार-बार आपसी बातचीत कर सामूहिक रूप से

गांव के वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के हित में निर्णय लेकर वानिकीय कार्य किया। सामूहिक हित में व्यक्तिगत कब्जे हटा कर सामूहिक जमीन घोषित कर संरक्षण एवं संवर्द्धन करने की सामूहिक जिम्मेदारी उठाई।

राजस्थान में साझा वन भूमि पर वन सुरक्षा एवं प्रबंध कमेटी का श्यामपुरा कलां में गठन किया । श्यामपुरा कला समूह में कार्यारम्भ हुआ। इस कार्य ने जिन परिवारों ने वन भूमि पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था उस पर खेती एवं मकान बने हुए थे उनको छोड़ दिया।

सामूहिक हित का वानिकीय कार्य किया कब्जे की वन भूमि छोड़ने से उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था, उसकी क्षति होने लगी ।इस क्षतिपूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए सामूहिक लिप्ट इरीगेशन का निर्माण कार्य व ग्राम समूह को यह अनुभव हुआ कि गैर संस्थान के साझे में किया। इस कार्य की पहल और व्यवहारिक रूप प्रदान करने में गांव के अगुवाओं की महत्ती भूमिका रही है। दूसरा साझा वन नीति की अलग समझ वन विभाग के विभिन्न स्तर पर और ग्राम समूहों के लोगो के मध्य समझ में अन्तर था। इसको एक साझी समझ बनाने हेतु प्रयास की जरूरत है।

हेमराज भाटी
अध्यक्ष
उम्मेदमल लोढ़ा मेमोरियल ट्रस्ट

किस्मत का नहीं कोई गिला, लोगों का साथ मिला
धीरे-धीरे चल पड़ा पर्यावरण बचाने का सिलसिला

- संतोष कुंवर भाटी

वनरक्षक की वर्दी में पहचान नहीं होती कि यह अटल इरादों वाली वही लड़की है, जो कुछ समय पूर्व सेवा मन्दिर में साफ सफाई का कार्य करती थी। कठिनाईयों की डगर तब शुरू हुई जब कम उम्र में इनकी शादी और इन पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ। रोज की जाने वाली मारपीट और बेटियां होने के तानों ने इनको अंदर से तोड दिया। एक दिन इन्होंनें प्रण कर ही लिया अत्याचार के खिलाफ खडे होने और संघर्ष करने का, ताकि अपनी बेटियो ं को एक बेहतर जीवन दे सके। हालातों के आगे ना झुकने और सतत् संघर्षशील रहते हुए 2016 में वन-विभाग में वनरक्षक बनी ।

ये है उदयपुर शहर के गायरियावास की रहने वाली 41 वर्षीया संतोष कुंवर भाटी। इनके माता- पिता ने महज 14 वर्ष की उम्र में राजसमंद के नेगड़िया गांव में शादी करवा दी। उस समय ये महज छठी पास थी।

राजपूत परिवार में घूंघट में रहकर गांव की संस्कृति में ढ़लने लगी लिहाज़ा पढ़ाई छूट गई।इनकी तीन बेटियां हैं, बड़ी बेटी पांच वर्ष, उससे छोटी तीन वर्ष एवं सबसे छोटी पन्द्रह महिने की थी जब उन्होनें घर छोड़ने का फैसला किया।

चेहरे पर अजीब मायूसी लेकर संतोष कुंवर कहती है कि उन्ही दिनों मैं अपने माता पिता के पास गयी, उन्होने मना कर दिया की हम तुम्हें नही रख सकते।खैर मेरी नानी जी का सहयोग मुझे मिला, उन्होनें सेवा मंदिर में कार्यरत् लक्ष्मी जी से मिलवाया और मुझे सेवा मंदिर में कार्य पर लगवा दिया ।सेवा मंदिर में मैं सफाई का कार्य करती और वॉलियन्टर के लिए खाना बनाती।सेवा मंदिर की कार्यकर्ता प्रीति जी ने मुझे कहा कि आपको पढ़ना है, मैने मना कर दिया कि पढ़ाई छोड़े मुझे 12 वर्ष हो गये है, मेरी तीन बेटियां है मैं अब नही पढ़ सकती ।आखिरकार हिम्मत करके मैने ठान लिया कि इस बार आठवीं की परीक्षा देनी ही है, काम को एडजस्ट करते हुए दो- तीन- पांच-घंटे नींद निकालती और पढ़ाई जारी रखती, इस तरह आठवीं फिर दसवीं फिर बारहवीं और फिर स्नातक कर लिया।

संतोष कुंवर मुस्कराकर कहती है कि 2016 में एक दिन मैं सेवा मंदिर आयी तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि मैडम वन विभाग में एक वन रक्षक की पोस्ट अम्बेरी नाके पर निकली है।आज उसकी अंतिम तारीख है, मैने जल्दी जल्दी में फार्म भर दिया और मुझे वन रक्षक की नौकरी मिल गयी।यदि जड़ मजबूत है तो पेड़ बनना आसान हो जाता है।मैं मेरी नौकरी से खुश हूँ, मुझ में सेवा मंदिर की संस्कृति रची बसी है, मैनें जो सेवा मंदिर से पर्यावरण संरक्षण के बारे मे सीखा था वो मेरी जेहन में है। 2017 में एक दिन गर्मी के मौसम मे ढ़ीकली गांव के पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आग लग गयी, आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे रोकना

असंभव हो रहा था। हमारा स्टॉफ तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के सदस्य अम्बेरी की पहाड़ी पर गये,हमें समझ में नही आ रहा था कि आग को कैसे रोके। निर्भीक और अपने कार्य में अड़िग संतोष कुंवर ने एक आईडिया निकाला कि इन सूखों पत्तो को हटाया जाय, ताकि आग रूक जाये। लगातार तीन चार दिन तक आग जलती रही फिर वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति अम्बेरी के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने से अनगिनत पशु पक्षियों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हो सकी। यहाँ के आदिवासियों की मान्यता है कि अपनी मन्नत पूरी होने पर लोग आग से जंगल स्नान कराते है। संतोष कुंवर ने लोगों को समझाया कि यह अंधविश्वास है और वे इसको मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अदम्य साहस ज़ेहन मे समेटे हुए संतोष कुंवर ने चंदन चोरों का भी सामना किया है। जंगल में अक्सर चोर आते है और उनकी जान का खतरा रहता है।अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए ग्रामीणों को साथ लेकर जंगल से चंदन चोरों को भगाया ।उनको ग्रामीणों का साथ मिलने का कारण है कि वे निरन्तर ग्रामीणों के सर्म्पक में रहती है एवं स्थानीय समुदाय को जंगल के प्रति जागरूक भी करती है। संतोष कुंवर गर्व के साथ कहती है कि गांव के लोग एक तरह से मेरा पर्यावरण बचाव दल है। मैं सुबह 5 बजे बोरों का गुड़ा गांव वालों को बुलाती थी तो वे आ जाते थे चलो मेडम चलते है आग बुझाने के लिए। नीमच माता मगरे में भी आग लग जाती है तो सबसे पहले मेरी टीम जाकर ही आग बुझाती है।ग्रामीणों की महीने में एक बैठक करते है और नये नये तरीकें सोचते है। अभी हमने यह तय किया कि गांव में किसी की मृत्यु हो जाये या किसी का जन्म दिन हो उनकी याद में एक पेड़ जंगल में जरूर लगायें । संतोष कुंवर महिलाओं की बैठक में पर्यावरण के बचाने की तरीके एवं पेड़ों की कटाई, छटाई की जानकारी देती है। साथ ही महिलाओं को जंगल से

गीली लकड़ी नहीं काटने एवं सूखी लकडी एकत्रित करने के कार्य हेतु प्रोत्साहित करती है।

मैं पार्क में ड्यूटी पर होती हूं तो देखती हूं कि कोई स्कूल कॉलेज ग्रुप के लड़के लड़कियां आते है, उनको पता नहीं होता है कि हमे कैसे क्या करना है ? मै उनकी ओर जाकर पूछती हूँ कि, पर्यावरण पर आप क्या करते है ? कैसे पेड़ लगाते है ? आप देख रहे हो कोई पहाड़ी है जहां पेड नहीं है तो आप प्लीज आप जाकर पेड लगाओं। मेरा सोचना है कि आने वाले पर्यटकों से प्यार से बात करो, प्यार से पौधे लगाओं। आपके प्यार से पर्यावरण सुधरेगा।

वर्ष 2010 से संतोष कुंवर ने ऐसी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जो किन्ही कारण से नहीं पढ़ पाती या जिनका बाल विवाह हो जाता है और ससुराल के दबाव से पढ़ाई छूट जाती है उनको पढ़ाई से पुनः जुडवाती है। वनरक्षक की वर्दी में संतोष कुंवर गर्वशील होकर कहती है कि वर्दी पहनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ये वर्दी देश प्रेम का जज्बा जगाती है।

सेवा मंदिर के बारे में पूछने पर संतोष कुंवर की आंखे भर आयी वे बोलने लगी कि मैने सेवा मंदिर को जिया है। मैने देखा है कि, लोग वहां बिना स्वार्थ के काम करते है। पहाड़ो में जाते है, बहुत मेहनत करते हैं, सेवा मंदिर मेरे लिए भगवान है।

उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलने पर संतोष कुंवर भाटी खुश होकर कहती है कि यह पुरस्कार मुझे मिला है। मेरे लिए शब्द नहीं है कि किस तरह से सेवा मंदिर का आभार व्यक्त करूं कि सेवा मंदिर ने मुझे सम्मानित किया है।

लथूनी में अदम्य साहस झोंका
जंगल से लकड़ी चोरों को रोका

– लीला देवी

अदम्य साहस की धनी, जंगल से उंटो पर लकड़ी ले जा रहे चोरों को टोंका और रोका । 2018–19 में इस वीरवर अकेली महिला ने लथूनी सहित 3 गांवो की 430 महिलाओं को 33 स्वयं सेवी सहायता समूह से जोड़ा। यह महिला है, फलासिया पंचायत समिति के धरावण पंचायत के लथूनी गांव निवासी 42 वर्षीय लीला देवी । अपने पीहर आमलिया में 1986 में प्रौढ़ शिक्षा लेकर सेवा मंदिर आया, इनके पिताजी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाते थे । जाहिर है कि लीला देवी उसी में पढ़ी, तत्पश्चात् सरकारी स्कूल से 10 वी कक्षा तक पढ़ाई की । आमलिया में चरनोट की जमीन पर लोग सेवा मंदिर के सहयोग से पौधे लगा रहे थे तो उसमें लीला देवी ने भी उत्साह से भाग लिया । सेवा मंदिर के मूल्य और विचार लीला देवी के बचपन से ज़ेहन मे समाये हुए हैं। जब वह 15 वर्ष की हो गई तो पिता ने लथूनी गांव में शादी करवा दी। इनके पति प्राईवेट कम्पनी में बाहर कार्य करते हैं।

अपने परिवार के बारे में लीला देवी मुस्कराकर कहती है कि मेरे दो बच्चे है एक लड़की 12 वी कक्षा में तथा एक लड़का आठवीं में पढ़ रहा है। वो गर्व से कहती है कि लड़की और लड़का दोनों ओगणा हॉस्टल में है। उनको सरकारी नौकरी भले ना मिले तो भी कोई बात नही, मै उन्हें सेवा मंदिर से जोड़कर रखूंगी ताकि परिवार सुखी रहे ।गांव मे होने से वे भी इधर उधर धूमते है और लड़के मिल जाये तो शराब पीना, सिगरेट पीना शुरू कर देते है,क्योंकि लड़कों के पिता पीते है, उनको देखकर, बच्चे भी सीख जाते है ।इसलिए मैने बच्चों को हॉस्टल में डाला।

2019 मे सेवा मंदिर लथूनी में आया और सेवा मंदिर ने एक बैठक रखी, बैठक में लीला देवी के सिवाय अन्य कोई महिला नही आयी। लीला के इसी जज्बे के चलते उन्हें ग्राम विकास कमेटी में कोषाध्यक्ष बनाया। जंगल से उंटो में भरकर लकड़ी काटकर ले जाने के विषय पर लीलादेवी कठोर होकर कहती है कि 2006-07 मे जब सेवा मंदिर नही आया था तब की बात है ।रात को हमेशा जंगल से लकड़ी काटकर चोर उंट से ले जाते थे,वे मेरे घर के आंगन से ही लकड़ी ले कर जा रहे थे, ऐसे चोरों का व्यापार चल रहा था। मैने कहा कि जंगल पूरे गांव का है और नुकसान भी पूरे गांव का हो रहा हैं परन्तु ऊंट मालिको ने लीलादेवी की बात पर ध्यान नहीं दिया और लकड़ी की अवैध कटाई और बेचान का धंधा जारी रखा। एक दिन मेरे को भनक लग गयी मैंने कहा कि गांव के लोगों को एकत्रित करो, इस तरह गांव में 10-15 लोग एकत्रित हुए और लकड़ी चोरों को रात्रि को 12.00 बजे पकड़ा ।हमने गांव मे बैठक रखी उसमें स्पष्ट रूप से एक स्वर में कहा कि ऐसे तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा, इस पर लगाम लगानी होगी। उसके बाद लकड़ी चोरों को जंगल की ओर अंदर नहीं जाने दिया ।हमने वन विभाग को भी सारी जानकारी दी वन विभाग ने भी हमारा साथ दिया और जंगल की अवैध कटाई एवं लकडी का व्यापार करने वालो पर कार्यवाही की, परिणाम स्वरूप

अवैध कटाई रूकी और जंगल सुरक्षित हो पाया। हमारे खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ लेकिन हमारे गांव के सभी लोग एक मत थे तो हमारा कुछ नही हुआ। जंगल तो वन विभाग का है, परन्तु हम सामुहिक रूप से कमाते थे। हमारे गांव में महिला समिति से जुड़ी 10 महिलाएं भी मेरे साथ इस संघर्ष में सम्मिलित थी।

लीला देवी कृषि कार्यकर्ता के रूप में 2019 मे सेवा मंदिर से जुड़ी। 430 महिलाओं के गांवों के हर फलों में स्वयं सहायता समूह चल रहे है। इन महिलाओं को लीला ने कृषि आधारित आजीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा। लीला ने धरावण में जैविक कृषि, छोटे अनाज की खेती आदि कार्यक्रमों के माध्यम से महिला कृषकों के मध्य नई उर्जा का सूत्रपात किया है। लीला देवी महिलाओं की बैठक में जाती है, महिला हिंसा पर चर्चाएँ होती है। डायन के केस पर लीला देवी दबंग होकर बोलती है कि गांव में एक महिला थी उसे उसके पड़ोस के लोग बहुत परेशान करते थे और बोलते थे कि तू डायन है। मैने बोला डायन का क्या सबूत है ? आप इसे क्यों परेशान करते हो ? वो महिला हर समय घर पर ही रहती थी, लोग उसको डांटते थे कभी-कभी पीहर भी चली जाती थी। लीला देवी ने दबंगाई से लोगो को चुप किया और पानरवा आकर लिखा पढ़ी करके समझौता करवाया कि आज के बाद पड़ोस का या गांव का कोई व्यक्ति इस महिला को डायन नही बोलेगा।

स्कूल में पढ़ रही लड़कियों के बारे में फैसला करवाने के विषय पर लीला देवी स्पष्ट कहती है कि एक लड़की गांव के स्कूल में पढ़ रही थी, इसी स्कूल में पढ़ रहे दो - तीन लड़के उसको फलासिया क्षेत्र में भगा कर ले गये। मुझे इस घटना का पता लगा, मैने पानरवा थाने मे केस दर्ज करवाया, लड़की के पिताजी इस घटना से क्षुब्ध होकर रो रहे थे। गांव की 3 महिला और एक पुरूष ने आकर कहा कि गांव में हमारा कोई भी

साथ नही दे रहा है, लोग तो यूं कह रहे है कि लड़की वहां रहने गयी है तो रहने दो क्या करना है ? मैने कहा कि अभी उसकी उम्र 15 वर्ष है जो पढ़ाई करने की है, मैने थानेदार से कहा कि लड़की को जबरदस्ती लेकर गये है, आप लाकर हमे सुपुर्द करों। लीला देवी की कठोरता को देखकर थानेदार ने पुलिस स्टॉफ को भेजा और लड़की को लेकर आये वो लड़की आज पुनः स्कूल में पढ़ रही है।

लीला देवी तसल्ली पूर्वक कहती है कि पहले लोग घरों में बाल विवाह करवाते थे, अब कानून के डर से बाल विवाह बंद है। लोग जानते है कि, कोई पुलिस में शिकायत कर देगा। पहले महिलाएं घर से बाहर नही निकलती थी, पुरूष महिलाओं को बैठक में नही भेजते थे, आज वो बैठक में आती हैं। घर में कोई परेशानी है पति-पत्नि का झगड़ा है, सास-ससुर का झगड़ा है तो बैठक में खुलकर बोलती है। सेवा मन्दिर ने धरावण में महिला संदर्भ केन्द्र खोला है जिससे महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। महिलाएं अब टीकाकरण करवाती है, डिलिवरी अस्पताल में करवाती है। पहले घर में डिलिवरी होने से आधी महिलाएं मर जाती थी। महिला ऑपरेशन आदि कामों में समझ बनी है।

गांव में शिक्षा के स्तर पर बोलते हुए लीला देवी कहती है कि, सेवा मंदिर के आने से गांव में शिक्षा का वातावरण बदला है। हमारे गांव के स्कूल में लड़के-लड़कियां स्कूल जा रही है। अभिभावक बच्चों को कापी-पेन्सिल नही दिला पाते तो मैने उन्हें कॉपियाँ एवं पैन्सिल दिलवाई ताकि, बच्चो की पढ़ाई मे कोई अड़चन नही आये। पहले की स्थिति के बारे में लीला देवी बोलती है कि गावं में लोग बच्चो को तो पढ़ाते थे लेकिन लड़कियों को गुजरात मजदूरी करने भेजते थे। अब, गुजरात भेजने में कमी आ रही है। गांव के स्कूल के कोई कार्यक्रम होता है तो अध्यापक लोग मुझे बुलाकर मान-सम्मान प्रदान करते है। हमारे गांवो मे

सेवा मंदिर का काम होने से तथा इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के जुड़ने से पड़ोस के गांव टिन्डोरी में भी जागरूकता आई। मैंने टिंडोरी गांव मे जाकर उन्हें समूह से जोड़ा और स्वयं सहायता समूह चलाया।

एक बार धरावण गांव की एक महिला डिलिवरी के लिए फलासिया गयी तो अस्पताल में मुझे खाट पर बुलाया और रोने लगी। कहने लगी कि मेरे पति के पास पैसे नही है, इसलिए वे मुझे छोड़कर चले गये है। मैने कहा कोई सोना वगैरह है तो उसने कहा कि एक तोले का कान में पहना हुआ है, उसे लेकर मे गांव के सेठ जी के पास गयी और 800 रू. लायी और तुरन्त टेक्सी करके मैने जच्चे और बच्चे को घर पहुँचाया। किसानों की खेती में सिंचाई के लिए पानी की कमी को देखते हुए, सेवा मंदिर ने बांध बनाया है, 35 परिवार उससे लाभान्वित हुए है, मक्का, गेंहु, चना और सरसों की खेती हो रही है। पहले खेती की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने से केवल मक्का की ही फसल ले पाते थे।

उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलने पर लीला देवी गर्व से कहती है कि, गांव के स्कूल में अध्यापकों ने मुझे सम्मानित किया। एक आदिवासी समाज की महिला को यह पुरस्कार मिला इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लीलादेवी ने जोश भरकर कहती है कि, मैं अब अधिक काम करूंगी, पुरस्कार मिलने से मेरे कार्य में नयी उर्जा का संचार हुआ है।

नाट्यकर्मी धीराराम धीरे-धीरे सागवान सी खुशबु फैलाता गया

– धीराराम कपाया

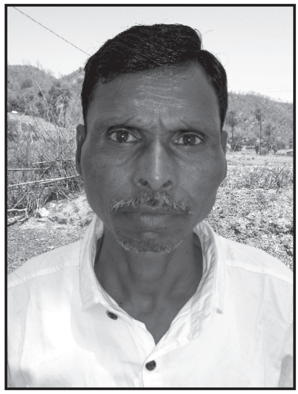

आर्थिक अवरोधों के बावजूद झाड़ोल प्रखण्ड के काड़ा गांव निवासी 5 बच्चों के पिता हंसमुख व्यक्तित्व के धनी धीराराम धीरे-धीरे ग्रामीण समुदाय के मध्य शिक्षा, संगठन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु बेमिसाल प्रयास कर रहे है। एक निर्धन परिवार में जन्मे धीराराम 5 वीं कक्षा तक ही पढ़े है। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण परिवार को एक समय ही खाना मिल रहा था। कंधो पर किताबों का झोला डालकर धीराराम घर से 7 किलोमीटर दूर नेताजी का बारां गांव में अध्ययन के लिए जाते थे। स्कूल में खाने के लिए दलिया मिल जाता था उसी से वे पेट भरते थे। परिवार में मेरे माता-पिता 3 भाई एवं 2 बहने रहती थी।

सन् 1983 में सेवा मंदिर ने शिक्षा का एक दीप प्रज्जवलित किया । सेवा मंदिर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम प्रभारी लेकर आये, उन्होनें लोगो से

कहा कि हम लालटेन देगें,केरोसीन देगें आपको रात्रि में प्रौढ़ों (15 से 35 वर्ष) को पढ़ाना है। गांव के ही शंकरलाल केन्द्र के अनुदेशक बने करीब दो वर्ष बाद मुझे केन्द्र चलाने का अवसर मिला और सेवा मंदिर से जुड़ा । सेवा मंदिर ने सर्वप्रथम ग्राम विकास कमेटी का निर्माण किया साथ ही साथ वन प्रबंधन समिति भी बनाई उस समिति के माध्यम से हम लोगो को जंगल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मिली।

सहज भाव से धीराराम कहते है कि गांव के लोगो की जागृति से 125 काश्तकारों के सहयोग से जंगल में पेड़ पौधे लगाए तथा उनकी सुरक्षा की। धीरे धीरे हम लोगो में पेड़ पौधों की सुरक्षा का जज्बा बढ़ा तो हमने सेवा मंदिर को कहा कि श्यामपुरा में साझा वन प्रबंध का कार्य प्रारम्भ हुआ ऐसा हमारे गांव में भी हो। सेवा मंदिर ने हमारे गांव काड़ा में काड़ा प्रथम साईट और दूसरी साईट में गांव की 120 हैक्टयर जमीन पर वन विभाग,सेवा मंदिर और ग्राम समूह के सहयोग से हमारे गांव काड़ा में साझा वन प्रबंधन का कार्य प्रारम्भ किया ।50 हैक्टयर जमीन पर गांव के लोगो ने वृक्षारोपण किया बाकि 70 हैक्टयर जमीन पर प्राकृतिक पेड़-पौधे है उनकी सुरक्षा करने का कार्य किया। वन विभाग के कर्मचारी और हम लोग केसरिया जी और गातौड़ जी गये और वहां से केसर लाए करीब 900 हैक्टयर जमीन में केसर छिड़काव किया, गांव के मन्दिर में पूजा अर्चना की और पूरी रात जागरण किया।देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था होने के कारण जंगल में किसी तरह नुकसान नहीं पहुॅचा। हम गांव वाले मगरा बाबा को पूजते है और मगरा बाबा, मगरे की लाज रखते है,सुरक्षा करते है।

जंगल के प्रति संघर्ष की कहानी कहते हुए धीराराम कठोर होकर बताते है कि जंगल में सागवान के पेड़ों के प्रति लालच आ जाने से गोगुन्दा से लोग आते थे और रात को सागवान की तस्करी करते थे। उनका मुकाबला करने के लिए हमारे गांव के लोग जंगल में रात की 12

बजे, 1 बजे और 2 बजे गश्त करते थे। उन्होनें हमे इतना परेशान किया कि वे घाटी में से, रात को सागवान काटकर ट्रक में भरकर ले जाते थे। गोगुन्दा के तस्करों की पार्टी ने हमारे ऊपर बन्दूक से फायर भी किया। लेकिन, हम पीछे नही हटे। एक बार हमने उन लोगो की सागवान से भरी हुई दो गाड़ियां पकडकर पुलिस को दी एवं वन विभाग को भी बुलाया। यहीं नही, हम 12-15 लोग उदयपुर गए और जिलाधीश महोदय और कमिश्नर सा. से भी मिले उनके साथ इस संबध में गहरी बातचीत की । उन्होंने कहा कि, आप लोगो का यह धरातलीय संघर्ष वास्तविक है, आप लोगो की मेहनत से, जंगल हर हाल में बचना चाहिए। अंततः गोगुंदा से आने वाले लकड़ी चोर बंद हुए। आज जंगल की सुरक्षा एवं संघर्ष करते हुए सत्रह-अठारह वर्ष हो चुके है। गांव के लोग जंगल की सुरक्षा में आज भी तैनात है। जंगल में कही आग लग जाती है तो, गांव मे सूचना आग की तरह फैलती है और गावं के महिला पुरूष दौड़ पडते है।

1997 में धीराराम वन उत्थान संस्थान से जुड़ें और ओगणा क्षेत्र के वन सुरक्षा समितियों के साथ काम किया । पर्यावरण के प्रति अच्छी समझ होने से वे 2017 में वन उत्थान संस्थान के अध्यक्ष चुन लिये गए वे बताते है कि, सामुहिक वन अधिकार के लिए वन उत्थान संस्थान झाड़ोल वर्षों से संघर्षरत् रहा है। परिणाम स्वरूप, धीराराम के नेतृत्व में 95 सामुदायिक वन अधिकार की फाईलें झाड़ोल के लिए स्वीकृत हुई, जिससे वनों की कटाई भी रूकी हुई है।

धीराराम नाट्य कला में पारंगत है, वे कहते हैं कि 1986 में मैने एकलव्य कला केंद्र के नाम से सांस्कृतिक दल बनाया और जंगल की संस्कृति और सुरक्षा पर गीत लिखें।

वन ही सोना है रे भाया, इसे बचाना ना भूलना। जंगल की संस्कृति पर नाटकों की भी रचना की इसका पूरा श्रैय सेवा मंदिर को देते हुए

कहते हैं कि सेवा मंदिर ने ही मुझे इस काबिल बनाया। गांव- गांव में सवा महींने तक गवरी का मंचन होता हैं। उसमें धीराराम ने सतत् सकारात्मक संदेश दिया है। खासकर, जंगल में अतिक्रमण करने वालों को गवरी के माध्यम से वे कड़ा संदेश देते है। धीराराम आज भी अपने कार्य के प्रति उतने ही उत्साहित और लगनशील है जैसा कि 37 वर्ष पूर्व इन्होनें अनुदेशक के रूप में शंखनाद किया था।

धीराराम संतोष भाव से कहते है कि, काड़ा गांव में ग्रामवासियों ने जंगल बचाया। इसे देखकर, पड़ोसी गांव भंवरिया , क्यांरिया, राणपुर तथा ओगणा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों के लोगो में भी जागृति आयी और उन्होंनें भी अपने गांव के जंगलों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्वता दिखाई। लिहाजा, इन गांवों में भी जंगल गांव के लोगों ने बचाया है। सेवा मंदिर संस्था की प्रेरणा से ही यह वन बचाव अभियान एक आन्दोलन बना है जो सफलतम है। कोरोना जैसी महामारी मे पूरा देश तबाह हुआ और हमारे इस क्षेत्र में शुद्व हवा, शुद्व पानी और पेड़ पौधों से जड़ी-बूटियां मिली इसी वजह से हम इस आपदा से बच पाए हैं।

लोग कहते रहे, मैं सुनती रही
आगे बढ़ती रही, नयी राहें गढ़ती रही

– भूरकी बाई

भूरकी बाई का शाब्दिक अर्थ है, अंधेरे से उजाले की ओर, जैसा नाम वैसा काम । '' गांव री सेवा में काम करी री हूँ ''यही वाक्य उनके जीवन का अर्थ बता देता है। गिर्वा प्रखण्ड के अलसीगढ़ के कातिया फला की रहने वाली भूरकी बाई साहस और सर्मपण की प्रतीक है। उनके पति शंकरलाल मीणा एक बार कुएँ में गिरने से अपंग हो गये तभी से वे कुछ काम नही कर पा रहे थे, लेकिन खेती में जरूर मदद करते है। इसी घटना के बाद भूरकी बाई का जीवन संघर्ष प्रारम्भ हुआ, वे मजदूरी कर जीवन यापन करने लगी। इनके तीन लड़के है, जिन्होंने घर की 6 बीघा जमीन आपस में ही बाँटली । एक लड़के को स्नातक उत्तीर्ण करवाया। दो लड़के 12 वी एवं 8 वी तक पढ़े हैं। भूरकी बाई शादी करके घर में आयी तो भूरकी बाई के दिन कठिनाईयों से गुजरने लगे। पास में पैसा नही होता था, मजदूरी करती और 32 रूपया दिहाड़ी कमाती।

18 वर्ष की उम्र में भूरकी बाई सेवा मंदिर से जुड़ी, अलसीगढ़ और आस पास के क्षेत्रों में महिला समूह जुड़े फिर दाई माँ का प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही होनहार और मेहनती रही भूरकी बाई ने 15 वर्ष तक दाई माँ का कार्य किया यह कार्य आज भी जारी है। प्रसव या बीमारी के समय किसी महिला को रक्त की जरूरत पड़ी तो तुरंत उपलब्ध करवाई। यही नहीं, गांव की कुछ गरीब महिलाओं का ईलाज भूरकी बाई ने अपने निजी खर्चे पर भी करवाया। भूरकी बाई गर्व से कहती है कि आज मै वार्ड पंच हूँ। मेरे क्षेत्र से गर्भवती महिलाओं और बीमार महिलाओं को अस्पताल लेकर आती हूँ। जब तक वे ठीक नहीं हो जाती तब तक साथ रहती हूँ।

भूरकी बाई अपने जीवन की कहानी यों बताती है कि, जब मै छोटी थी तब सेवा मंदिर ने गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाया था तब मैं केन्द्र पर पढ़ने जाती थी । मेरे पिताजी एवं मेरे भाई मुझे डांटते थे कि तू रात को केन्द्र पर टाईम खराब करने क्यों जाती है ? 18 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गयी एवं तभी सेवा मंदिर से जुड़ाव हो गया। मै सेवा मंदिर की बैठक में जाने लगी, कोई बुलाता ही नहीं था तब भी बैठक में जाती । आखिरकार मुझे सेवा मंदिर ने समूह में जोड़ दिया। सेवा मंदिर वाले मुझ से पूछते कि, गांव में कोई समस्या है ? पानी की कमी, महिलाओं की क्या समस्या है ? वार्डपंच निर्वाचित होने के बारे में भूरकी बाई कहती है कि वार्ड पंच का जब चुनाव लड़ा तो मैने तो प्रचार ही नहीं किया केवल फार्म भरा। लोगो ने कहा कि भूरकी बाई अच्छी महिला है, वे शुरू से कार्य कर रही है। गांव की बीमार महिला और गर्भवती महिलाओं को उदयपुर अस्पताल लेकर जाती है। ऐसे में गांव के लोगो ने मुझे वोट देकर वार्ड पंच बनाया।

सेवा मन्दिर से जुड़ने के शुरूआती दिनों में संघर्षशील व्यक्तित्व की धनी भूरकी बाई झुंझलाती हुई कहती है कि मेरी देवरानी, जेठानी और

पड़ोस के लोग ताना कसते हुए कहते थे कि ये औरत बाहर जाती है आदि । मुझे और मेरे पति को,दूसरे लोग आकर बोलते थे कि तेरी औरत रात – दिन उदयपुर जाती है। एम्बुलेंस बुलाकर आदमियों के साथ रात को भी उदयपुर जाती है मेरे पति कुछ नही बोलते । मैने और मेरे पति ने ऐसी कड़वी बाते सही है। सेवा मंदिर ने मुझे प्रशिक्षण दिया उसी रास्ते पर चलते हुए अपना कार्य करती हूँ। समय बीतता गया आज तो मेरे सामने किसी व्यक्ति के बोलने की हिम्मत नहीं होती। भूरकी बाई प्रसन्न होकर कहती है कि, आज सेवा मंदिर के होने से हमारे गांव अलसीगढ़ में मुझे और मेरी महिलाओं को साथ ही पूरे गांव को सीखने को मिला है। पहले तो औरतों का घर से निकलना मुश्किल था। किसी–किसी घर में आज भी महिलाएं नही निकल पाती है। मै घर से निकली तो गावं की अन्य औरतों को भी निकाल पायी और महिला समूह बनाया ।

भूरकी बाई गर्व से कहती है कि वार्ड पंच होने के नाते तीन प्रस्ताव लेकर सरपंच के पास गयी थी। तीनों ही प्रस्ताव पास हो गये। सरकार से 30 इन्दिरा आवास तथा 20 हैण्डपम्प स्वीकृत करवाये, एक एनिकट और एक पनघट दिलवाई और पीपलवास से अलसीगढ तक सी. सी. रोड़ बनवाई। स्थानीय सरपंच एवं सचिव ने जलबंध निर्माण हेतु अनापत्ति पत्र देने से मना कर दिया तो भूरकी बाई ने सरपंच पर सामाजिक दबाव डलवाया और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही दम लिया ।सेवा मंदिर से मुझे जोश मिला है इसलिए आगे तक मेरा कार्य चल रहा है। अभी मै रात मे अस्पताल दौड़ती हूँ तो वहाँ के स्टाफ वाले कहते है, बाई जी पहले आप बताओ क्या काम है? इतना मान सम्मान मिला है। भूरकी बाई के अथक प्रयासों से अलसीगढ़ क्षेत्र में 24 महिला समूह चल रहे हैं। इन महिला समूहों की माह में एक बार बैठक होती है। पैसा जमा करते है और जरूरत के हिसाब से 5,000, 10,000, और 20,000 का ऋण देते है। पहले महाजन रकम के बदले ऊँचे ब्याज पर

ऋण देता था। आदिवासी परिवार ऊँचे ब्याज के चक्कर से पनप नही पाते थे। आज महिलाएॅ महिला समूह से ऋण लेकर महिलाएं नए-नए रोजगार के अवसर ढूंढ़ रही है।

संघर्षशील भूरकी बाई ने पर्यावरण सुरक्षा हेतु सेवा मंदिर के माध्यम से अलसीगढ़ में चरागाह को विकसित किया उसमें आँवला के पौधे लगायें। बगीचा तैयार किया, शौचालय का निर्माण किया, जलबंध दुरूस्त करवाये तथा लोगो ने फूलों की खेती एवं सब्जी की खेती प्रारम्भ की साथ ही 12 हैक्टयर का एक चरागाह और सेवा मंदिर के सहयोग से विकसित किया। चरागाह में अतिक्रमणकारियों की वजह से दिक्कत आ रही थी। गांव की ग्राम विकास कोष कमेटी के अध्यक्ष शंकरलाल की अध्यक्षता मे बैठक हुई। चरागाह विकास में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अतिक्रमणकारियों को बुलाया, समझाया और समझाने से वो माने और अपना अतिक्रमण हटा दिया।

महिला संदर्भ केन्द्र अलसीगढ़ में भूरकी बाई ने 2 वर्ष तक कार्य किया इसी दौरान इन्होनें महिला हिंसा,तलाक तथा वृद्व माता पिता के साथ हुई मारपीट के कई प्रकरणों का निपटारा करवाया। भूरकी बाई ने शराब खराब है का नारा बुलन्द कर गांव के पुरूषों को शराब छुडवाने हेतु निरन्तर प्रेरित किया। स्कूल छोड़ चुके गांव के 20 बच्चो को भूरकी बाई ने बातचीत कर उनका पुनः स्कूलीकरण करवाया। ये जन समस्याओं के प्रति भूरकी बाई की प्रतिबद्वता है ।

उम्मेद मल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलना भूरकी बाई के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वो खुशी से कहती है कि अलसीगढ़ क्षेत्र की एक महिला को पुरस्कार मिलने से पूरा गांव बहुत खुश है। मैं गर्व करती हूँ कि सेवा मंदिर ने मेरे कार्य का सराहा ।

कभी हार न मानने वाला युवा

– कींतन कुमार कसौटा

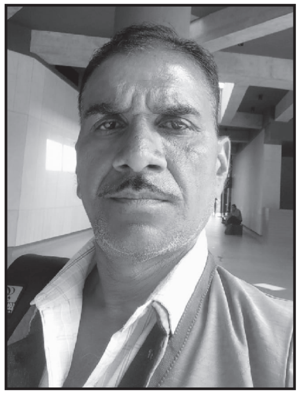

कभी हार नहीं मानने वाला ग्रामीण युवा, मनोबल कोई कितना गिराए परन्तु वो कभी नही गिरा ऐसे जाबाज कींतन कुमार कसोटा पिता श्री विजय राम जी कसोटा का उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के दक्षिण में गुजरात सीमा के पास सटा हुआ गांव गरणवास में एक आदिवासी कृषक परिवार में 1966 में जन्म हुआ। गरणवास 650 परिवारों का बड़ा गांव है, गांव में एक दो जैन-परिवार के अतिरिक्त सभी अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते है। उस समय इनके परिवार में माता-पिता 4 भाई तथा 2 बहिन सहित कुल 9 सदस्य थें। प्रारम्भ में पढ़ाई में रूचि होने के कारण मिडिल शिक्षा तक गांव में ही पढ़ाई की तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय फलासिया से हायर सैकण्डरी उत्तींण की। इसी दौरान कींतन कुमार की शादी हो गयी, वर्तमान में इनके परिवार में पत्नि, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां है। एक लड़का अध्यापक है तथा एक लड़का कक्षा 12वीं में अध्ययरत् है, एक लड़की

बी.ए. बी.एड्. है तथा एक लड़की 9 वी कक्षा उत्तीर्ण है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई में रूचि होने के बावजूद पढ़ाई छोड़कर काम धंधे का प्रयास करना पड़ा।

कींतन कुमार को अचानक से ज्ञात हुआ कि, झाड़ोल पंचायत समिति के अंतर्गत संविदा पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, ऐसे में उन्होनें आवेदन किया तो 1986 से 1989 तक प्राथमिक विद्यालय गोदाणा,डैयावाड़ा में संविदा शिक्षक की नौकरी लग गई। 1990 से 1993 तक कल्याणी समग्र विकास परिषद् कोल्यारी में खादी ग्रामोद्योग भण्डार में बिक्री व्यवस्था का कार्य भी किया।

सेवा मंदिर से लगाव होने के कारण वे सेवा मंदिर की बैठको में भाग लिया करते थे एवं रोजगार हेतु सम्पर्क भी किया करते थे। फलस्वरूप सन् 1992 में स्व. श्री उम्मेदमल जी लोढ़ा, श्री नरेन्द्र जी जैन व श्री हरीश जी अहारी ने साक्षात्कार किया और वन सहायक के रूप में इनको सेवा मंदिर में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 9 नवम्बर 1992 से वर्ष 1995 तक कोजावाड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत वृक्षारोपण, निजी खातेदारी चक के निर्माण। कार्य के साथ-साथ वन सुरक्षा एवं उनके प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी समय की इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि अपने नेतृत्व के बल पर इनके कार्य क्षेत्र सागवाड़ा से सर्वप्रथम केसर छिड़काव द्वारा वनों की कटाई और अवैध चराई को नियंत्रित करने का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जो आज भी बहुत ही विकट परिस्थितियों में जंगलों की सुरक्षा का एक अहम् पहलू बना हुआ है। इनके कार्य को देखते हुए वर्ष 1995 से 1996 तक इनको झाड़ोल प्रखण्ड के बिच्छीवाड़ा क्षेत्र में कार्य का अवसर दिया गया। यहां पर भी इन्होनें वनों के अन्तर्गत दो बड़े साझा वन प्रबंध बड़ा भीलवाड़ा 50 हैक्टयर एवं श्यामपुरा 50 हैक्टयर का निर्माण करवाया जिसमें कोट,

चारदीवारी, चेकडेम, ट्रेन्चें, वृक्षारोपण आदि गुणवत्तापूर्ण कार्य करवायें। उस समय उस क्षेत्र में पूरे ब्लॉक की सबसे बड़ी नर्सरी जो कि 1,30,000 की थी को तैयार करवाई और उन पौधों को दोनों साझा वन प्रबंध, मिनी चक एवं व्यक्तिगत वृक्षारोपण के तहत् लगवाए।

वर्ष 1997 से वर्ष 2004 तक झाड़ोल के ही ओड़ा क्षेत्र में कार्य की जिम्मेदारी दी गई। यहां पर 4 चारागाह साईट परदा, काकरमाला नैवज, ओड़ा, के निर्माण कार्य करवाएं। इस दौरान इनकों काफी समस्याओं और चुनौतियां का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो जमीनें चरागाह की थी उन पर व्यक्तिगत कब्जे थे कई बार बैठकों में समझाईश कर के लोगो को जागरूक करते हुए सार्वजनिक हित में इन कब्ज़ों को हटवाकर चारागाह चक के रूप में कोट चारदीवारी, चेकडेम व वृक्षारोपण का कार्य करवाया। इसी दौरान ग्राम नेवज में तो अतिक्रमणियों द्वारा इनकों मारने तक की धमकी दी गई। लेकिन इन्होनें निडरता से गांव की राय बैठाते हुए कब्जाधारियों को बेदखल करने में गांव का नेतृत्व किया। उस समय कभी-कभी इनका मनोबल भी टूटने लगा लेकिन निरन्तर सफलता मिलते रहने के कारण लोगों का साथ एवं सेवा मंदिर के परिवार की तरह बर्ताव के कारण इन्होनें अपनी इस नेतृत्व क्षमता को निरन्तर आगे बढ़ाया।

लेकिन वर्ष 2006 में व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए सेवा मंदिर को छोड़ना पड़ा इस दौरान इन्हें सरकारी पद पर काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ लेकिन सेवा मंदिर से काफी प्रभावित थे। वर्ष 2006 में वनों की सुरक्षा पर इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए पुनः सेवा मंदिर के सहयोग से वनों की सुरक्षा हेतु निर्मित शाखा जो कि वन उत्थान संस्थान के नाम से रखी गई उसमें प्रभारी के रूप में झाड़ोल में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। गांवों में वन सुरक्षा कमेटी का गठन

करना व वन विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाना, अतिक्रमण रोकना, जंगल सुरक्षा हेतु प्रभावी उपाय ढूंढ़ना, नए सामुहिक वनों की संभावनाए तलाशना, वनों की सुरक्षा पर लोगों से निरन्तर संवाद बनाए रखना आदि जैसे :- कमलनाथ वन खण्ड झाड़ोल से मात्र 10 किलोमीटर दक्षिण मे मगवास क्षेत्र में पड़ता है, तथा यह वन क्षेत्र 7 ग्राम पंचायतो के 21 राजस्व गांवो के हक में पड़ता है। तथा यह वन क्षेत्र 3500 हेक्टेयर है। कमलनाथ वन क्षेत्र आवरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आवरगढ़ इस क्षेत्र के लोगों के लिए हरिद्वार भी माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों के अन्तिम क्षण के फूल घोले जाते है। यहाँ पर लंका नरेश रावण ने कमल नाथ महादेव की स्थापना कर शीश चढ़ाया था। ऐसी मान्यता है कि 1576 ई. में हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने इस वनखण्ड में आकर एक गढ़ बनाया, एनिकट बनायें तथा यहाँ पर अपने सैनिकों के साथ रहकर घास की रोटी खाकर अपनी सेना की ताकत बढ़ाई। एक कविता है। अरे घास की रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो जद अमर सिंह चीख पड्यो, राणा रो सोयो दुःख जाग्यों ऐसी गाथाएं है। कमल नाथ को ऐसे वन क्षेत्र से 21 गांवो से खतरा होने लगा और लोग अतिक्रमण करने लगे तब संस्था के माध्यम से गांवों में बैठके करना प्रारम्भ किया एवं वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाये गये एवं नये कब्जें नही होने देने की अपील की तथा फलासिया रेंजर सा. और झाड़ोल रेंजर सा. ने काफी मदद की है जिससे कमलनाथ वन खण्ड सुरक्षित रखा है एवं इसको पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग उठ रही है। इस वन क्षेत्र के लिये लगातार लोगो से सर्म्पक रखते हुए संस्थान की ओर से नेतृत्व करते हुए वनाधिकार के मुद्दें को कार्यकारिणी के सहयोग से लोगो में इसके प्रति जागृति फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए वन अधिकार अधिनियम 2006 व

नियम 2008 व संशोधित नियम 2012 के तहत करीब 3 वर्ष से प्रयास करते हुए सामुदायिक वन अधिकार की गांव में लोगों की समझ को बढ़ाते हुए गांव के लोगो को सहयोग देते हुए संस्थान के कार्यकर्ताओं के सहयोग से दावा फाईल तैयार करवाने का कार्य किया। इसके लिए पहले सेवा मंदिर से प्रशिक्षण लेकर अधिनियम को समझा गया फिर वन उत्थान के माध्यम सें धरातल पर लोगो को व 2008 में बनी वन अधिकार समितियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 व 2008, 2012 की जानकारी का प्रचार प्रसार किया गया तथा सामुदायिक अधिकार के दावें ग्राम सभाओं में जाकर तैयार करवाकर जंगल बचाने का अहम मुद्दा उठाने में लोगो को नेतृत्व प्रदान किया।इस कार्य में आई चुनौतियां एवं उनका सामना इनके लिए नया कार्य था की पूरे कानून को समझकर लोगो को समझाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन निरन्तर प्रशिक्षण बैठकों में भाग लेकर अपनी समझ को पक्का करते हुए वनोत्थान के कार्यकर्ताओ एवं लोगो तक इसकी समझ बढ़ाने में काफी योगदान दिया।इसके साथ ही इन दावों को लेकर इनको सरकारी लवाजमों के साथ भी बार बार संवाद करना पड़ता जिससे ये कभी-कभी शारीरिक रूप से भी काफी परेशन रहते थे क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात को लेकर कभी गांव में जाना पड़ता, तो कभी पंचायत समिति कभी वन विभाग के अधिकारियों से तालमेल बिठाना, तो कभी वन नाके पर इस तरह की समस्याओं का सामना करते करते, तो कभी इनको कार्य को त्यागने की इच्छा भी होती पर कभी एक काम में सफलता मिलती अच्छा भी लगता और एक नए जोश के साथ पुनः स्वप्रेरित होकर सेवा मंदिर के कार्यकताओं के सहयोग से खुद काम में लग जाते एवं अपने साथियों को भी इस हेतु प्रेरित करते, इसी के अंतर्गत प्रखण्ड झाड़ोल के 52 गांवो के 13725 हैक्टर वन भूमि के दावे उपखण्ड कमेटी में जमा किये।साल भर हो गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही हो रही थी तो संस्था से बार बार उपखण्ड अधिकारी से

सम्पर्क किया गया और पत्र लिखा गया फिर फाईलें वन विभाग रेंज कार्यालय पर भेजी गयी वहां पर भी फाईले काफी समय तक पड़ी रही कोई कार्यवाही नही हो रही थी इसके लिए वन उत्थान के प्रतिनिधियों के साथ उदयपुर डिविजन कार्यालय में उप वन सरंक्षण, मुख्य वन सरंक्षक एवं संभाग आयुक्त जी से मिलकर भी अवगत कराया। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल को वन उत्थान की बैठक मे बुलाकर सामुदायिक वन अधिकार दावों की विस्तृत चर्चा की तथा जंगलो की सुरक्षा दिशा में सामुदायिक वन अधिकार हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। परिणाम स्वरूप इसके बाद उपखण्ड समिति की बैठक में अनुमोदन कर 40 फाईलें जिले की कमेटी में भेजी गई जिसमें से 2018 में 9 गांवो को सामुदायिक वन अधिकार का हक मिला जो राजस्थान में उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील में पहला है एव 8 गांवो को 2019 में और सामुदायिक वन अधिकार का हक मिला। इसके बाद सामुदायिक वन अधिकार दावा फाईलों पर कार्य करते हुए वन उत्थान टीम का नेतृत्व करते हुए बाहरी प्रखण्डों में भी सर्म्पक बनाते हुए प्रशिक्षण व वन अधिनियम 2006 की जानकारी देता रहा एवं सरकार के साथ भी सर्म्पक बनाता रहा। सामुदायिक वन अधिकार अभियान 2023 के दौरान शिविरों में सहयोग से सभी जगह दावे जमा करवाये गये जो सभी जगह के मिलकर 220 सामुदायिक वन अधिकार के हक मिल चुके है जैसे झाड़ोल में 92, खेरवाड़ा में 70, कोटड़ा में 8, सराड़ा में 56 सामुदायिक वन अधिकार मिले अभी कुछ दावों की फाईल पेन्डिंग चल रही है।

उपलब्धियाँ :-

इनके नेतृत्व से 55 गांवो में विभिन्न साईटों की लगभग 9000 हैक्टयर वन भूमि पर केसर छिडकाव का कार्य करवा कर पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक अहम् पहल की गई। इसके साथ ही सामुदायिक

वनाधिकार को एक राजनैतिक मुद्दा बनाने हेतु जन प्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद बैठाते हुए एवं उनकी राय लेकर कार्य को आगे बढ़ाने में भी इनका योगदान रहा है। परिणाम स्वरूप इन दावें फाईलों में से 40 दावें फाईलें जो सामुदायिक वन अधिकार के लिए जिला स्तरीय कमेटी में विचाराधीन है। सामुदायिक वन अधिकार के प्रशिक्षक बनकर इन्होनें अभी जागरण सेवा संस्थान उदयपुर के वली व जगत क्षेत्र तथा प्रयत्न सेवा समिति सलूम्बर के कार्यकर्ताओं और गांव के लोगो को प्रशिक्षण दिया है एवं कृपाविस संस्थान अलवर के लोगो को सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम की जानकारी दी है। इससे अन्य संस्थाए भी सामुदायिक वन अधिकार के लिए लोगो में कार्य करने लगी है।

कींतन कुमार को आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन्होनें जिस कार्य का नेतृत्व किया है उस काम में वे पूर्ण रूप से एक दिन सफल होगें और यदि सामुदायिक वन अधिकार गांवो को मिलता है तो सबसे बड़ी खुशी होगी। इस कार्य को देखते हुए बायोडायवर्सिटी हैदराबाद ने 16 सितम्बर 2012 को केन्द्रीय वन मन्त्री श्रीमति नटराजन द्वारा संस्था को प्रशस्ति पत्र,शील्ड एवं 100,000 (एक लाख रू. मात्र) का चेक देकर सम्मानित किया तथा उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार देकर कींतन कुमार को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया। इस सम्मान को पाकर कींतन कुमार बहुत खुश है तथा इसका श्रेय उनके साथ पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों को दिया।

हमको जाजम संस्कृति लुभाई
सदियों बाद बैठे सब बहन- भाई

– केसर सिंह सोलंकी

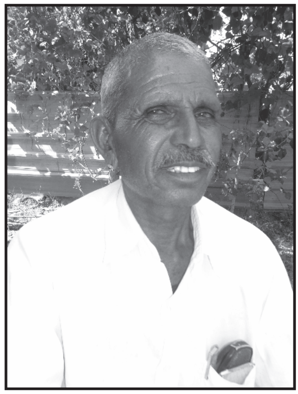

झाड़ोल के उपली बिरोठी एवं निचली बिरोठी दो अलग अलग फलें है। सदियां गुजर गयी लेकिन दोनों फलों के लोग कभी एक साथ नही बैठे। गांव में तीज त्यौहार, होली और दीपावली दोनों फलों में अलग अलग मनाते आए हैं। 1982 में सेवा मंदिर ने प्रौढ शिक्षा केन्द्र आरम्भ किया, दोनों फलों में अलग- अलग अनुदेशक कार्यरत् थे। 1982 मे सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में गांव के लोगो ने सार्वजनिक जगह पर जाजम बिछाई तो दोनों फलों के लोगों ने एक साथ जाजम पर बैठकर गांव के विकास के लिए बातचीत की। यह एक अद्‌भुत अवसर था। यह कहना है निचली बिरोठी के संघर्षशील व्यक्ति केसर सिंह सोलंकी का जिसे हालात ने मारा लेकिन वह कभी नही हारा।

1951 में निचली बिरोठी में जन्मे केसर सिंह घर की विपरीत परिस्थितियों के कारण 5 वीं कक्षा से आगे नही पढ़ सके। नौकरी भी लगी लेकिन किस्मत से विस्मृत हुए। वे खेती ही करते रहे। 1972 में विवाह

किया, इनके दो भाई और दो बहनें है, पिताजी विकलांग थे मजदूरी करने में असक्षम थे, लिहाजा हम लोगो ने मजदूरी की और बहनों की शादी कराई , वो काल एक संघर्ष का काल था । 1982 में सेवा मंदिर गांव में प्रौढ़ शिक्षा लेकर आया, मुझे प्रौढ़ शिक्षा का अनुदेशक बनाया, सेवा मंदिर के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रभारी से मुलाकात हुई और उन्होनें मुझ से कहा कि केसर सिंह तू अच्छा लड़का है, तू काम कर और आगे बढ़। केन्द्र पर मेरे द्वारा पढ़ाये गए बच्चे कोई जेलर तो कोई अध्यापक बने है। 1989 में गांव में ग्राम विकास कमेटी का गठन किया और मुझे कमेटी का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष के नाते मुझे गांव के विकास की जिम्मेदारी का अग्रणी व्यक्ति बनाया ।करीब 500 लोगों की बस्ती वाले बिरोठी गांव में 1989 मे 400 हैक्टयर जमीन पर जल ग्रहण का कार्य करवाया गया जो एक वर्ष तक चला । इस कार्य की जिम्मेदारी मुझे ही दी गयी थी। कार्य के तहत् गांव के कई सारे महिला पुरूषों को रोजगार मिला। गांव में मेड़बंदी हुई, नालियां खोदी गई रतन जोत के पौधे लगाये गए एवं घास भी बोयी गई जिससे आज दिन तक लोगो को घास मिल रही है।

जल ग्रहण कार्य के दौरान एक घटना भी हुई लेकिन गांव के लोगो के मजबूत इरादों के कारण जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया ।हुआ यू कि जल ग्रहण. क्षेत्र में कुछ लोगों ने अनाधिकृत तरीके से मकान बना रखे थे। जब हम लोग नाली निर्माण के लिए वहाँ गये तो अतिक्रमणकारियों ने कहा कि जमीन पर नाली नहीं खोदने देगें। हमने पटवारी के माध्यम से बता दिया कि ये सरकारी जमीन है, आपके खाते में नही है। यदि आप जबरदस्ती करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होंगी । गांव के सभी लोगो ने कहा कि इनकों हटना चाहियें। आखिरकार वे अतिक्रमी हटे। जिससे जल ग्रहण का सारा कार्य कमेटी के माध्यम से होता था जैसे नियमानुसार मजदूरों का चयन करना। जैसे इस बार आपका नम्बर मजदूरी में आया तो अगली बार दूसरे का आएगा, इस तरह पूरे गांव में हर घर को मजदूरी मिली, हमने बारी बारी से सभी को बांट कर काम दिया।

पहले छोटे-छोटे नालों में पानी बहकर चला जाता था क्योंकि जमीन ढलान वाली थी। वहाँ जलबंध बनाया और नालियां खोदी। वहां आज पानी रूक रहा है, जमीन में जा रहा है इससे खेतों की पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे बिरोठी में जल ग्रहण का अच्छा कार्य देखकर आस पास के पडौसी गांवो ने भी मांग की कि ऐसा काम हमारे गांव में भी होना चाहियें। अटवाल, दोब और नेवज के लोगो ने भी सेवा मंदिर से सम्पर्क किया तो वहां भी सेवा मंदिर ने गांव समूह के सहयोग से मेड़बंदी ओर जलबंध बनायें। गांव में विकास कार्यो के दौरान हमने संघर्ष भी किया। केसर सिंह ने 2003 से 2010 के मध्य गांव में तीन जलोत्थान परियोजनाएं स्थापित करवाने में अहम भूमिका निभाई। कार्य प्रारम्भ होने पर हम लोग पाईप जमीन के अंदर डाल रखें थे तो वहॉ से रोड़ निर्माण का कार्य भी स्वीकृत हुआ और जे.सी.बी. से जमीन खुद रही थी ऐसे में हमारे डाले हुए पाईप कट गये। हमने संघर्ष किया रोड़ को बंद कराया, पूरे गांव के लोगो ने धरना दिया। अंतगोत्वा ठेकेदार से 22,000 की राशि हमको हर्जाने में मिली। केसर सिंह ने गांव के बच्चो को शिक्षा मे कम्प्युटर के जुड़ाव के लिए भामाशाह से संवाद कर विद्यालय में कम्प्यूटर की व्यवस्था करवायी। पिछले दो वर्षो के दौरान कोराना जैसी महामारी के प्रबंधन में केसर सिंह ने अपना पूरा योगदान देते हुए होम आईसोलेशन, ऑक्सीजन लेवल रिकोर्डिंग और टीकाकरण जैसी अहम् जानकारी लोगो को दी तथा उन्हें बीमारी से बचाव एवं उपचार के बारे में जागरूक किया।

मुझे गांव के लोगों का इतना प्यार मिला कि लोगो ने मुझे उप सरपंच बनाया और आज मैं क्षैत्रीय विकास मंच का अध्यक्ष भी हूं। मैने सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया इसीलिये एकजुटता आयी है और यह ऐसे ही मजबूत रहेगी। प्रसन्नता की बात है कि 2022 में उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मुझे मिला। मेरा गांव, मेरा परिवार तथा मेरे दोस्तों ने सेवा मंदिर को संदेश भेजा की इस पुरस्कार के लिए केसर सिंह का चयन आपने किया इसके लिए बहुत बहुत आभार।

पर्यावरण मित्रों के जीने का आधार
मिले सामूहिक वनाधिकार

– किशनलाल वडेरा

संघर्ष पथ पर अविराम चलने वाले झाड़ोल प्रखण्ड के 62 वर्षीय तलाई गांव निवासी किशनलाल वडेरा जीवन की विषम परिस्थितियों से गुजरे हैं। किशन लाल वडेरा धैर्य से कहते है कि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ रहा था उसी समय मेरे माता व पिता का देहावसान हो गया, परिणाम स्वरूप मुझे पढ़ाई को विराम देना पड़ा। मैं मुश्किल से आठवीं तक ही पढ़ पाया । हम तीन भाई थे दो भाईयों की भी अकाल मौत हो गयी। हम भाईयों के 17 लड़के-लड़कियाँ थी, मैने हिम्मत करके सभी की शादी करवायी और उनका घर बनवाया ।

1982 में सेवा मंदिर मेरे गांव में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लेकर आया। मेरा सीधा-साधा स्वभाव, चाल चलन के अनुसार मुझे अनुदेशक बनाया, मुझे 50 रूपये मानदेय मिलता था। लगभग तीन हजार लोगो की बस्ती वाले गांव तलाई में सभी अनुसूचित जनजाति के लोग निवास

करते है। 1988 मे सेवा मंदिर ने सर्व प्रथम गांव में सेवा मंदिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रभारी के नेतृत्व में ग्राम विकास कमेटी का निर्माण किया और मुझे कमेटी सचिव बनाया। इस नाते मेरी जिम्मेदारी गांव के प्रति ज्यादा हो गयी। सेवा मंदिर ने ग्राम विकास कोष का महत्व समझाया और बताया कि, गांव में किसी विपत्ति के समय ग्राम विकास कोष गांव के लिए ही काम आता है। ग्राम समूह की हर माह बैठक होती है। इतना ही नहीं, हम जाति पंचायत के फैसलों में भी तीसरा हिस्सा ग्राम कोष में जमा करवाते है। सेवा मंदिर ने हमारे गांव में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस का आयोजन किया फिर स्वास्थ्य सघन अभियान और इसके बाद जलोत्थान सिंचाई योजना प्रारम्भ की। जिससे, ग्रामवासियों को खेती की सिंचाई में मदद मिली।

वर्ष 2001-02 मे वन-विभाग,सेवा मंदिर और ग्राम समूह ने मिलकर तलाई गांव में 150 हेक्टयर जमीन पर साझा वन-प्रबंध का कार्य हाथ में लिया ।साझा वन प्रबंध कार्य प्रारम्भ करते ही कठिनाईयॉ आई। गावं के ही पांच अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था। मैंने और ग्राम समूह ने मिलकर इसका विरोध किया ।किशनलाल ने साझा वन प्रबंध स्थल की सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु वन सुरक्षा समिति तथा ग्राम समूह तलाई ने मिलकर प्रयास जारी रखें। ग्रामवासियों ने मिलकर अतिक्रमियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाया और समझौता भी थाने में ही हुआ। लिहाजा अतिक्रमणकारी जंगल से हटे । उन लोगो पर, हमने जुर्माना तय किया। हमने साझा वन प्रबंध की चौकीदारी के लिए एक चौकीदार रखा जिसका भुगतान ग्राम कोष से ही करते रहे। साझा वन प्रबंध के तहत् हमने एक बड़ी बैठक की जिसमें वन विभाग, सेवा मंदिर और पांच-छः गांव के लोगों को शामिल किए। हमारी परम्परा के अनुसार जंगल में केसर छिड़काव भी किया गया, हमने गीली लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगाया और जुर्माना भी तय

किया। पड़ोस के तीन चार गांवो चंदवास, मालपुर, चेचलाया, ढढावली, मुण्डावली और सलाद, इन गांवों के लोगो को इसलिए बुलाया कि हमारे तलाई गांव में साझा वन प्रबंध का कार्य चल रहा था और साझा वन प्रबंध कार्य में एक मगरा इन गाँवों के बीच आ रहा था।

एक बार घटना भी घटी, चौकीदारी करने वाले चौकीदार पर अप्रत्याशित अत्याचार हुआ। जंगल में पशु चराने वाले लोग मवेशी जंगल में डालकर, जंगल में ही छुप गए। चौकीदार पशु बाहर निकाल रहा था ऐसे में वे लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे तैसे वह चौकीदार एक मकान में जाकर छुप गया तो उन लोगों ने मकान के बाहर घेरा बना ड़ाला। चौकीदार की माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई,सारी बात बताई और मै उनके साथ गया। वो चौकीदार भी नंगी तलवार लेकर मकान के अंदर खड़ा रहा कि आज तो वारे न्यारे हो ही जाए। मैने जाकर उन लोगो से बहस की, चौकीदार और मैं पुलिस में गये और रिर्पोट दर्ज करवायी। थाने में बैठकर ही आपसी समझौता करवाया, उन लोगों पर 300 रूपये जुर्माना किया और पैसा ग्राम कोष में जमा करवाया।

काम के प्रति समर्पण, जज्बा और ईमानदारी की बदौलत वन उत्थान संघ झाड़ोल ने किशन लाल को सदस्य बनाया। सरकार की ओर से 2008 में सामुहिक वन अधिकार का कानून आया। किशन जी बताते है कि हम गांव वालो ने मिलकर इसका विरोध किया कि वन अधिकार कानून में बहुत सी कमियां है। 10 वर्ष तक संघर्ष करते हुए हमने प्रयास किया कि हमें वन अधिकार कैसे मिले ? आखिरकार 2018 में इस कानून में जो कमिया थी उसे पुरा करते हुए 2018-19-20 में झाड़ोल प्रखण्ड में हमारे गांव सहित कुल 92 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे गांव वालों को दिलवाये, यह महत्वपूर्ण कार्य हमने किया।तलाई गांव में आज इतना बदलाव देखने को मिलता है कि हमने सामाजिक तौर पर

फ़िज़ूल खर्चे को रोकने के लिए नशीली वस्तुओं पर सार्वजनिक तौर पर रोक लगाई है। लोगों में आपसी विवाद होने पर आपसी समझौता करवाते है ताकि उन्हें पुलिस में नही जाना पड़े।

किशनलाल सामूहिक विचारों के धनी रहे है, आप तलाई गांव की स्कूल प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी है तथा क्षेत्रीय विकास मंच ब्राम्हणों का खैरवाड़ा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए गांव में नशा उन्मूलन तथा मौताणा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। किशन लाल सामुहिक कार्यो में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता को सदैव महत्व देते है। कुछ समय पूर्व समीपवर्ती ग्राम मालपुर मे पशु चिकित्सा भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता के कार्य का आपने विरोध भी किया। समूह के साथ सरकार पर दबाव बनाकर श्री किशन लाल ने कार्य की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करवाया। इनके द्वारा क्षेत्र में सामने आये 10 मौताणा मामले मे से 9 मामलों का बिना लेनदेन के फैसला करवाया गया है। अपने समाज में लोकप्रियता के चलते किशन लाल दो बार वार्ड पंच भी चुने गए।

किशन लाल कहते है कि, सेवा मंदिर वहीं काम करता है जहाँ सामूहिकता हो, सेवा मंदिर से जो विचारधारा ग्रहण की है वो सदा अमिट रहेगी। इनका कहना है कि, सेवा मंदिर से उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मुझे मिला वह सेवा मंदिर की ही देन है, सारे गांव वाले प्रसन्न हुए कि मुझे सेवा मंदिर ने पुरस्कार के लिए चुना । हमारा ग्राम कोष का जो खाता है वो ट्रस्ट से अभी जोड़ा है उसमें सदस्य सरदार मल, अम्बावी बाई, और मै हुँ।

भोपजी ने मालपुर में की अगुवाई
धीरे-धीरे विकास की गंगा बहाई

– भोपलाल खोखरिया

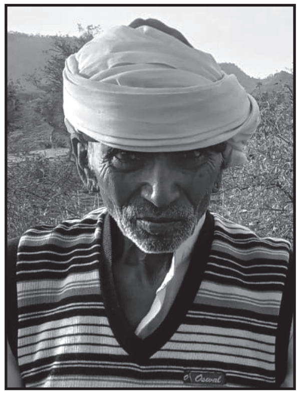

चेहरे पर खुरदरी झुर्रिया,आंखे बेचमक, मुंह से धीरे-धीरे मेवाड़ी भाषा मे शब्द निकलते, बुढापे का परोक्ष आगमन एक ऐसे व्यक्ति का, जो विकास के पर्याय हैं। ये है पर्यावरण सरंक्षण मे अग्रणी भूमिका निभाने वाले 78 वर्षीय भोपलाल खोखरियां। ये झाड़ोल तहसील के राजस्व गांव मालपुर के निवासी है, इनके पिता धूला जी इस क्षेत्र में समाज के सम्मानित पंच थे, उन्होनें 125 वर्ष जीने के बाद इस संसार से विदा ली, भोपजी की माता जी 90 वर्ष पूर्ण कर स्वर्ग सिधारी। तीन भाईयों में सबसे बड़े भोपजी जो कमजोर आर्थिक पृष्ठ भूमि के कारण 5 वीं से ज्यादा नही पढ़ पाये। भोपजी के घर में 2 लड़के एवं 5 लड़कियां है।एक लड़की ने दसवीं पास की है तथा एक ने पांचवी तक पढ़ाई की है। सभी पांच लड़कियों की शादी करवा दी है। अब, घर की जिम्मेदारी से मुक्त होने का अहसास उनकी वाणी से सुनाई देता है। भोपजी ने बचपन में अपनी पुश्तैनी खेती बाड़ी का कार्य सम्भाला।

सेवा मंदिर से जुड़ाव होने की बात पर भोप जी मुस्कराकर कहते हैं कि पड़ोस के गांव तलाई में नारायण जी सेवा मंदिर से जुड़े हुए थे । मैं तलाई गांव की ग्राम समूह की बैठक में जाता था, उन्होने मुझसे कहा कि भोप जी आप भी सेवा मंदिर से जुड़ जाओ मालपुर में समूह बनाओं। मैने मालपुर में ग्राम समूह बनाया, कमेटी बनाई और गांव वालो ने मुझे ग्राम विकास कमेटी का अध्यक्ष बनाया। इस तरह मेरा गांव मालपुर सेवा मंदिर से जुड़ा । 1982-83 मे तलाई गांव में सेवा मंदिर ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, भोपजी ने सेवा मंदिर से आग्रह कर मालपुर में भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करवाया। भोपजी के नेतृत्व में मालपुर एक संगठित एवं सशक्त समूह के रूप में उभरने लगा।

भोपजी ने 1986 से 1988 तक सेवा मंदिर की सहायता से मालपुर गांव में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सफलतापूर्वक करवाया। इनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा गांव की समीपवर्ती वन भूमि के विकास के प्रयासों के दौरान हुई। मालपुर गांव की 250 हैक्टयर वन भूमि के भीतर 12 परिवारों के कब्जे थे। भोपजी के नेतृत्व में मालपुर गांव समूह ने कब्जेधारियों को बहुत समझाया परन्तु वे वन भूमि से कब्जा हटाने को तैयार नही थे। भोपजी ने सामाजिक एवं राजनैतिक दबाव बनाया और कब्जेधारियों को समझाया कि वन भूमि के भीतर थोड़ा भी कब्जा होने से पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियो के लिए यह अत्यंत दुःखद स्थिति होगी, आखिरकार भोपजी के प्रयासों से कब्जेधारी वन भूमि से हट गये। भोपजी के नेतृत्व में 1993 से 1996 के बीच मालपुर की 250 हैक्टयर वन भूमि पर कोट निर्माण, मृदाजल संरक्षण एवं वृक्षारोपण आदि कार्य करवाये गये।वर्ष 1996 से 97 के दौरान भोपजी के नेतृत्व मे सेवा मंदिर के सहयोग से एक जलोत्थान परियोजना भी लागू की गयी जिससे 17 कृषकों की भूमि सिंचित हुई और गांव में खाद्यान्न उत्पादन

में बढ़ोत्तरी हुई।

6 वर्ष तक भोपजी के नेतृत्व में मालपुर ग्राम समूह एवं वन सुरक्षा समिति द्वारा विकसित वन भूमि का प्रबंधन किया गया। 2012 में वन भूमि से समीपवर्ती गांवों के लोगों द्वारा वन भूमि से चोरी छिपे गीली लकड़ी काटने की घटनाएं बार-बार होने लगी, भोपजी एवं ग्राम समूह मालपुर के लोगो ने पडोसी गांव के लोगो को समझाया, पर वे नही मानें। भोपजी ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से भी की परन्तु ये सभी प्रयास विफल रहे।इस पर वन सुरक्षा का दायित्व गांव के लोगों ने स्वयं उठाया और नियमित जंगल की गश्त लगाने लगे। इनके नेतृत्व में मालपुर के लोगो ने समीपवर्ती चन्दवास गांव की कुछ महिलाओं को गीली लकड़ी ले जाते रंगे हाथ पकड़ लिया, वहीं गावं की एक महिला ने भोप जी पर असम्मानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा दिया।इस पर चंदवास के लोग बहुत ही आक्रोशित हो गये।क्षेत्र के धार्मिक स्थल चंदेश्वर महादेव पर एक बड़ी बैठक बुलायी गयी,इस बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनकर सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण के आधार पर भोप जी निर्दोष साबित हुए।इस घटना के पश्चात् क्षेत्र में इनका मान सम्मान और बढ़ गया ।कुछ समय पश्चात् मालपुर के प्रभावशाली राजपूत परिवारों ने कुछ आदिवासी परिवारों को अपनी ओर मिलाकर जंगल मे मवेशी डालना तथा गीली लकड़ी काटना शुरू कर दिया। भोपजी के नेतृत्व में मालपुर के लोगो ने वन विभाग के अधिकारियों को गांव में बुलाकर बैठकें आयोजित करके शांति पूर्ण सामूहिक प्रयास जारी रखे। अंततः मजबूर होकर मवेशी को वन भूमि में धकेलने वाले राजपूत परिवारों को झुकना पड़ा तथा वे सभी लोग अपने घरो में पशुओ को बांधने लगे इस प्रकार अवैध चराई तथा लकड़ी की कटाई पर अंकुश लगा।

एक अन्य घटनाक्रम में गांव के स्थानीय मेघवाल परिवार द्वारा वन

भूमि में छुप छुप कर बकरियां चरानें की सूचना भोप जी को मिली तब उन्होंने त्वरित कार्यवाही कर दोषी परिवार की बकरियां पकड़ी तथा ट्रेक्टर में भरकर झाड़ोल फोरेस्ट रेंज आफिस में ले गए । ग्राम समूह मालपुर द्वारा दोषी परिवार से प्रति बकरी 50 रूपये का जुर्माना वसूल कर ग्राम कोष में जमा करवाया। जब भोपजी के सगे भाई के परिवार जनों द्वारा वन भूमि से बकरियाँ चराई गई, तब अपने भाई से भी भोपजी ने 200 रूपये वसूल कर ग्रामकोष में जमा करवाया। यह भोपजी की निष्पक्षता एवं मूल्य परख होने का सटीक उदाहरण है।

वर्ष 2003 मे भोपजी निर्विरोध रूप से चंदवास पंचायत के सरपंच चुने गये। भोपजी ने निःस्वार्थ भावना से एक करोड़ रूपये के जन उपयोगी कार्य अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत में संपादित करवाए। वर्ष 2008 में मालपुर गांव हेतु एक पशु चिकित्सालय की स्थापना करवायी। समीपवर्ती गांव चंदवास के प्रभावशाली लोगो ने इसे अपने गांव में स्थानान्तरित करवाने की कोशिश की। भोप जी ने मालपुर ग्राम समूह के साथ सरकारी एवं राजनैतिक स्तर पर संघर्ष करते हुए पशु चिकित्सालय गांव में ही स्थापित करवाया। अपने कार्यकाल के दौरान भोपजी ने 150 महिला-पुरूषों को विधवा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने में सहयोग किया।

भोप जी की तलाई- मालपुर क्षेत्र में जाति पंच के रूप में गहरी मान्यता है।विकसित वन सुस्थिर रूप से सुरक्षित एवं प्रबन्धित रखने तथा भविष्य में इसमे निजी कब्जे ना हो इसी मंशा से इनके नेतृत्व में वन अधिनियम कानून 2006 के अंतर्गत गांव की समस्त भूमि को सामुदायिक वन अधिकार के दायरे मे लाकर प्रस्ताव प्रशासन को दिया।

महिला सशक्तिकरण के विषय पर भोप जी कहते है कि पहले

महिलाएं घर से बाहर नही निकलती थी। सेवा मंदिर के हमारे गांव में आने से महिलाओं में जागृति आई है, वर्तमान में 7 महिला समूह मालपुर गांव में संचालित है। शिक्षा मे हुए बदलाव के बारे में भोप जी प्रसन्नचित्त होकर कहते है कि सेवा मंदिर 1982 में हमारे गांव में आया ही शिक्षा के साथ। सेवा मंदिर ने गांव में ज्ञान की जोत जलाई, आज घर घर में ज्ञान के दिये जल रहे है, अर्थात् हर घर से लड़का हो या लड़की सभी स्कूल जा रहे है। दृढ़ पूर्वक वे कहते है कि सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में मालपुर में हम लोगों ने कार्य किया उससे प्रभावित होकर पड़ोस के गांव चेचलाया, मुण्डावली, ढढ़ावली, नांदवेल और देवास के लोगों ने भी इच्छा प्रकट की कि हमारे गांव में भी सेवा मंदिर काम करे। आज सेवा मंदिर इन गांवों में भी कार्य कर रहा है। व्यक्तिगत वृक्षारोपण की बात पर ये कहते है कि 1993-1997 तक तीन सौ पौधे आँवला के मेरे खेत पर लगाये थे। धीरे धीरे बाजार में बिक्री से प्रतिवर्ष 11000, 13000, 15000, 25000, 40000, 50000 से 60,000 तक की आय हुई।

उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलने पर भोप जी कहते है कि गांव वालों को लगता है कि मैने काम ठीक किया। वानिकी विकास के काम में बहुत बहुत सहयोग किया एक तरफ से भोप जी ने अच्छा कार्य किया है जो दूसरों के लिए भी प्रेरणास्पद है।

सत्याग्रह के नायक

– देवीलाल

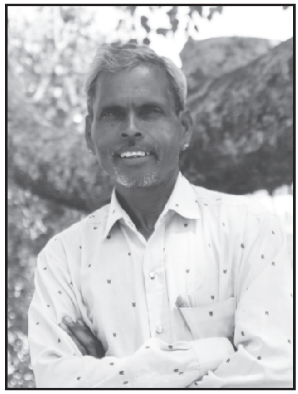

उदयपुर से सुदूर झाड़ोल तहसील का आमीवाड़ा गांव जहां विभिन्न जातियों के 125 परिवारों का निवास है। समाज सुधार, ग्राम विकास, एवं बांस कटाई के सत्यागृह आंदोलन के कारण ये आमीवाड़ा उदयपुर जिले की सुर्खियों में है। यहॉ के नेतृत्वकर्ता 55 वर्षीय देवीलाल जो करीब बीस वर्ष से ग्राम विकास कमेटी के एक सफल अध्यक्ष है। चार भाई एवं पांच बहनों में सबसे छोटे देवीलाल बताते है कि, मेरे माता पिता खेती करते थे, बचपन में बहुत ही गरीबी थी उस कारण आठवीं कक्षा के बाद पढ़ नहीं पाया ।स्कूल के कपड़े और यहाँ तक की किताब खरीदने के पैसे मेरे पिताजी के पास नहीं होते थे। जैसे-तैसे, आठवीं कक्षा पास कर स्कूल छोड़ दिया तत्पश्चात घर की आर्थिक मदद हेतु मै उदयपुर में मजदूरी करता था।

देवीलाल विस्तार से बताते है कि 1982-83 में सेवा मंदिर हमारे गांव

आमीवाड़ा में आया, शुरू-शुरू में मैने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर पढ़ना चालू किया। थोडे दिन बाद, मैंने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाया। सन् 2000 में मुझे गांव की ग्राम विकास कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसी समय, मैने ग्राम विकास कमेटी की बैठक कर सेवा मंदिर को गांव के 16 हैक्टयर चरागाह भूमि को विकसित करने का एक प्रस्ताव दिया। चरागाह निर्माण में एक समस्या उत्पन्न हुई। पड़ोसी, गांव तूरगढ़ के 15 अतिक्रमणकारियों ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा था। हम जन सहयोग से उनसे संघर्ष करते रहे, पुलिस केस भी किया क्योंकि हमारी समझाईश पर वे मानते नहीं थे। हमने चरगाह पर दीवार बनाई बांस के पौधों का पौधरोपण किया तो ये लोग कोट की दीवार गिरा कर मवेशी अंदर डाल देते थे, अंततः अतिक्रमणकारियों को चरागाह भूमि से हटना पड़ा।

इसी तरह 14 हेक्टेयर का दूसरा चरागाह भी विकसित हो रहा है। चरागाह चक में पिछले साल पौधरोपण किया है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नही आई। हमारे गावं मे सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में समूह बैठक के लिए हमने जाजम बिछाई तो मीणा, राजपूत, मेघवाल और गोस्वामी सभी जाति के महिला-पुरूष एक साथ न केवल जाजम पर बैठते हैं बल्कि गांव के विकास के लिए गहन चर्चा भी करते हैं। पंचायत के साथ समन्वयन के बारे में पूछने पर देवीलाल गर्व के साथ कहते हैं कि सेवा मंदिर के आने के बाद गांव मे ग्राम विकास कमेटी बनी और कमेटी अध्यक्ष के रूप में मैं पंचायत में मिलता हूँ। दो बार उप सरंपच रहा हूँ तो पंचायत भी सशक्त हुई है। हमारी कमेटी के आग्रह पर हर समय गांव के विकास के लिए पंचायत अग्रसर रही है। गांव में पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था वही लड़के भी स्कूल में कम जाते थे। लड़के भी पढ़ाई में उदासीन रहते थे। उनको पकड़ने के लिए मास्टर जी गाँव मे अन्य लड़कों के साथ बुलाते एवं जबरदस्ती पढ़ाते

थे। कुछ लडके ये सोचते थे कि मास्टर जी पीटेंगे, तो वे स्कूल ही नही आते।

आज स्थिति बदली है, सेवा मंदिर ने गांव के लोगों का मार्गदर्शन किया है, लड़की हो या लड़का, सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। देवीलाल बताते है कि मेरे तीन लड़के है एक लड़का 12 वी तक पढ़ा है दूसरे ने बी. एड. कर ली है तथा तीसरा लड़का भी 12 वी तक पढ़ा है, मेरी धर्मपत्नि 5 वी तक पढ़ी है। बड़े लड़के की शादी करवा दी है तथा बहू साक्षर है। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था धीरे-धीरे लोगों में जागृति आई है शिक्षा के बारे में और विकास के बारे में । पंचायत को कोई व्यक्ति जानता नहीं था। आज ग्राम सभा बैठक होती है तो स्वतः ही लोग जाते है। समाज सुधार के बारे मे देवीलाल आत्म विभोर होकर कहते है कि, हमारे गांव में फेडरेशन बना उसका मै सदस्य हूॅं। गांवो में बैठक करके शादी में वर्षो से बज रहे डी. जे, शराब बंदी तथा गवरी मे फ़िज़ूल खर्च कम करने की हमने कोशिश की है। हमारा प्रयास है कि सामाजिक कार्यक्रमों में दिखावा बंद किया जाए ।

16 हेक्टेयर का पहला चरागाह जिसमें बांस लदे हुए थे, घास कम होती थी जिस परिवार को जरूरत होती थी उस परिवार को घास दे देते। 2017 से हमने काफी भाग दौड़ की लेकिन हमे बांस कटाई की मंजूरी नही मिली । 2018 मे गांव की कमेटी ने निर्णय लिया कि सरकार से मंजूरी मिले या नही मिले हम 20 फरवरी को बांस कटाई आरम्भ करेगें । गांव के लोगो ने आमीवाड़ा में सत्याग्रह आयोजित किया जिससे पंचायत के अधिकार के अंतर्गत सांकेतिक रूप से बांस का विदोहन किया गया । सेवा मंदिर कार्य क्षेत्र के 20 अन्य गांवों में भी आमीवाड़ा सत्याग्रह के समर्थन में अपने अपने चरागाहो मे बांस कटाई आरम्भ की। अहिंसात्मक तरीके से यह आयोजित सत्याग्रह ऐतिहासिक साबित हुआ जिसमें करीब

16,000 बांसों की कटाई की गयी। अब समस्या हमारे सामने यह आई कि, इनकी बिक्री कहाँ की जाय? जिला वन अधिकारी से बात करके बांस को गाड़ियों में भर कर स्वरूपगंज मण्डी ले गये। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वहाँ हमको मना कर दिया कि ये बांस वन विभाग के नही हैं इसलिये हम इनको नहीं ले सकते, करीब दो दिन हम वहीं रूके। सेवा मंदिर की पैरवी से हमें फिर से मंजूरी मिली और वहां हमारे बांस खाली कराए। आज की स्थिति अच्छी है। इस वर्ष भी प्रस्ताव भेजकर बांस की कटाई करेगें। ठेकेदार आएगा और बांस ले जाएगा। पहले बांस कटाई पर बहुत खर्चा लगा था परिवहन भी हमारा और कटाई भी हमारी। लगभग 2,77,000 रू. की आवक हुई दूसरी बार काटे गये बांस से 1,90,000 रू. रूपये की आवक हुई। तीन वर्ष में एक बार बांस कटाई होती है। अभी चार वर्ष हो गये अभी कटाई होगी और ठेकेदार आकर बांस ले जाएगा और परिवहन भी उनका ही होगा। बांस कटाई से जो आवक होती है उसे चक की कोट दीवार यदि ढ़ह जायें तो दो-तीन दिन मजदूरी करनी होती है। मजदूरों का भुगतान हम ही करते है। वही सरकारी विद्यालय में मरम्मत का काम यदि पंचायत नही कर पाती है तो हम करवाते हैं। सरकारी आंगनवाड़ी में सरकार यदि खर्च वहन नहीं कर पाती है तो हम अपना खर्च करते हैं। सपना जी, वकत राम जी, शांति बाई और हीरा बाई जैसे मुखिया हमारे गांव की संगठन शक्ति में योगदान दे रहे हैं।

उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलने पर देवीलाल कहते है कि यह पुरस्कार मुझे मिलने से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चरागाह विकास की बदौलत मुझे यह पुरस्कार मिला है। इसका श्रेय, मैं गांव के लोगों को देता हूँ।

पर्यावरण मित्र के रूप में उदय

– उदयलाल सुथार

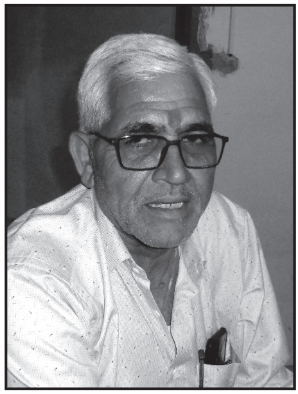

राजसमंद जिले की कांकरोली तहसील के किशनपुरा गांव निवासी 71 वर्षीय सहज एवं सरल स्वभाव के धनी उदयलाल सुथार वर्ष 2018 में बम्बई से पुनः अपने गांव किशनपुरा आयें। सेवा मंदिर जैसी संस्था के मूल्यों के प्रति समर्पित हुए और समाज सेवा का भाव इनमें उदय हुआ। एक गरीब परिवार में जन्मे उदयलाल न केवल पांचवी तक ही पढ़ पाए बल्कि बचपन में आपकी शादी भी हो गयी। तीन लड़के एवं एक लड़की के पिता उदयलाल ने अपने बेटों एवं बेटी की शादी भी करवा दी। उदयलाल धैर्य के साथ बताते है कि मात्र 14 वर्ष की उम्र में आजीविका उर्पाजन हेतु मुझे मेरे सुथारी काम के लिए 1973 मे बम्बई पलायन करना पड़ा। गांव में पिताजी रहते थे। 2015 मे पिताजी का देहावसान हो गया। उसके बाद तो मुझे पुनः गांव आना पड़ा। मुम्बई में मैं धीरे-धीरे प्रगति के पथ पर आरूढ़ था, जब वापस गांव आया तो सेवा मंदिर की चर्चा सुनी। एक दिन पड़ोसी गांव देवपुरा में, मैं अपने साथियों के साथ सेवा मंदिर

की समूह बैठक में भाग लिया। बैठक में सेवा मंदिर के विचार मेरे मन को प्रभावित कर गये। मैने सेवा मंदिर को अपने गांव आने का न्यौता दिया। सेवा मंदिर के कार्यकर्ताओं ने किशनपुरा आकर गांव की बैठक ली। सेवा मंदिर ने 15 सदस्यीय ग्राम विकास कमेटी का निर्माण किया और मुझे अध्यक्ष बनाया। किशनपुरा 65 परिवारों वाला गांव है जिसमें सुथार तेली और नायक जातियां निवास करती है। इन सभी जातियों के लोगों को साथ लेना मेरे लिए चुनौती भरा कार्य था।

सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में चरागाह के प्रथम भाग 30 हेक्टेयर जमीन पर ग्राम समूह ने कोट निर्माण, भू जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण के कार्य पूर्ण करवाये। उदयलाल ने गांव के सभी परिवारों से 25000 रूपये की राशि एकत्रित कर संपूर्ण चरागाह भूमि का अमीन एवं पटवारी द्वारा सीमांकन करवाया। यहीं नही ग्राम सहयोग से 55000 रूपये खर्च करके रास्ता भी बनाया। उदयलाल की अगुवाई में चरागाह की सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु एक समिति बनाई। चरागाह में लगे पेड़-पौधे बड़े हो रहे है। हमारा क्षेत्र पानी की बगैर सूखा है इसके लिए सेवा मंदिर के सहयोग से मेड़बन्दी के कार्य और वृक्षारोपण के कार्य हम कर रहे हैं।

एक दिन हम चरागाह में गये और देखा तो 15 व्यक्ति कोट निर्माण का कार्य कर रहे है। उदयलाल ने जब उनको देखा तो कठोर होकर बोला की तुम्हारा ठेकेदार कौन है ? तुम लोग मेजर से पैसे ले लो नही तो कल सुबह एक भी पत्थर नही दिखेगा ? अतिक्रमणकारी लोग उसे भड़काने में लगे और अतिक्रमणकारी रेगर समाज के व्यक्ति को आगे किया और वो कहने लगा हमारे पास तो चरनोट भूमि का पट्टा है। लेकिन चरनोट में तो पट्टा मिला ही नहीं। कोरोना के बाद रेगर समाज का व्यक्ति तहसील से एस. डी. एम. सा. को लेकर आया और एस.डी.एम. साहब ने हमे बोला की आप लोग 40 फीट जगह छोडकर दीवार बनाओं। ऐसे में

कड़क आवाज में उदयलाल बोलते हैं कि सर आप गांव में झगड़ा करवाने आये हो या समझौता करवाने ।डार्कवेल से 5 फीट इधर से तो 5 फीट जमीन उधर से छोड़नी होती है, यह होता है समझौता।आप तो एक ही साईट में 40 फीट छोड़ने को बोल रहे हो तो हम कहां से देगें ? अतिक्रमणकारी रेगर ने काम रूकवाने का प्रयास किया। हमने यहां तक की तहसील कार्यालय, एस. डी. एम. कार्यालय तथा जिलाधीश कार्यालय जाकर जिलाधीश से मिलें और अतिक्रमणकारियों को हटवाने के संबध में लम्बी अवधि का धरना दिया और बातचीत की। परिणाम स्वरूप कब्जेधारियों को हटना पड़ा ।

इस सफलता से उत्साहित होकर उदयलाल के नेतृत्व में किशनपुरा गांव के 283 बीघा शेष चरागाह भूमि को विकसित करने की ठानी । चरागाह के दूसरे भाग पर सात आठ बीधा जमीन पर केलवा के मार्बल व्यवसायी का पुराना कब्जा था ।कब्जेधारी आर्थिक रूप से सम्पन्न तथा रसूख वाला था।वह चरागाह भूमि पर मार्बल गेंगसा लगाना चाहता था। चरागाह में कब्जेधारी 30 फीट का रास्ता चाह रहा था।चरागाह से गांव में निकलने वाले मार्ग पर कब्जेधारी ने पत्थर डलवा रखे थे।उदयलाल के नेतृत्व में किशनपुरा गांव के लोगों ने जे.सी.बी मशीन लगवाकर चरागाह के मध्य आम रास्ते को साफ करने का कार्य प्रारम्भ किया।इस पर अतिक्मणकारी लोगो ने कार्य कर रहे समूह सदस्यों पर पत्थरबाजी आरम्भ कर दी और कार्य रूकवा दिया । उदयलाल ने धैर्य रखते हुए इस मामले की रिर्पोट स्थानीय थाने में दर्ज करवायी परन्तु दबाव के कारण पुलिस की ओर से कब्जेधारी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गयी। चरागाह भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाने हेतु उदयलाल के नेतृत्व में यह संघर्ष डेढ़ वर्ष तक चला। अनेकों बार इन अतिक्रमणकारियों ने उदयलाल को धमकी दी और बदसलूकी भी की परन्तु शांत स्वभाव के उदयलाल और ग्राम समूह किशनपुरा के लोग

अपने लक्ष्य पर शांतिपूर्वक तरीके से डटे रहे।

आखिरकार सरकार ने कानूनी कार्यवाही कर अक्टूबर 2021 मे चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अभी 100 बीघा चरागाह भूमि पर दीवार बनवाई गई है और वृक्षारोपण भी किया गया है। शेष 183 बीघा जमीन भी ग्राम समूह किशनपुरा सेवा मंदिर के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु प्रयासरत् है। इस हेतु, लोग बराबर जिलाधीश कार्यालय भी जा रहे है परन्तु, उदयलाल के नेतृत्व में लोग संघर्षरत् हैं।

अपनी निःस्वार्थ भावना और परिश्रम के नायक उदयलाल को वर्ष 2022 में उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। उदयलाल यह पुरस्कार किशनपुरा गांव के लोगों को देते हुए कहते हैं कि सेवा मंदिर का मार्गदर्शन और गांव की ताकत से ही हम कामयाब हुए हैं और यह संघर्ष अभी भी जारी है।

झाबला का सतत् नेतृत्वकर्ता

– धूलाराम खराड़ी

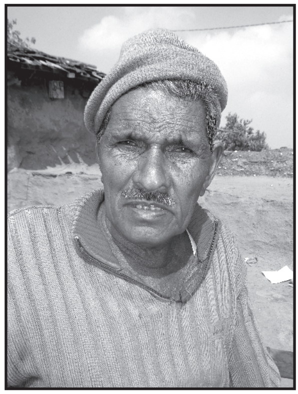

खाट पर बिल्कुल निश्चल भाव से बैठे धूलाराम खराड़ी, मानो बुढापें की दहलीज पर आ गये हैं। परन्तु, वाणी में आज भी ओजस्विता झलक रही थी। ये 65 वर्षीय गिर्वा तहसील के झाबला गांव निवासी सरल स्वभाव के धूलाराम खराड़ी है। वे बताते है कि 625 परिवारों वाले झाबला गांव में सभी अनुसूचित जाति के लोग निवासरत् है। जिसमें अहारी, खराड़ी, परमार, कलासुआ, भगोरा, पारगी, दामा और कसोटा आदि गोत्र के लोग रहते हैं। मेरे पिताजी गांव के लम्बरदार व्यक्ति थे, वे गांव के विकास के कार्य में अग्रणीय भूमिका में थे। उनके साथ-साथ हमारा भी गांव से जुड़ाव हो गया। मेरे पांच बच्चे है एक अध्यापक है, एक ने बारहवी पास की है तथा एक आठवी कक्षा उत्तीर्ण है बाकी दो महज साक्षर है। गाँव में स्कूल ही नहीं था लिहाजा मैं साक्षर ही रहा, परन्तु बच्चो की पढ़ाई के लिए गांव में एक मास्टर रख कर पढ़ाई करवाई। एक सन्यासी की भांति जीवन जीने वाले धूलाराम हर्ष के साथ

कहते है कि, मै चाय, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू से बहुत दूर हूं। यही शिक्षा मैंने अपने बेटों को भी दी है। इसलिए, वे भी जीवन में कोई नशा नही करते हैं।

सेवा मंदिर से जुड़ाव की बात पर वे कहते है कि मै वार्ड पंच भी बना और सेवा मंदिर 1990 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लेकर हमारे झाबला गांव में आया। हमको दो लालटेन दी और दो अनुदेशक दिये और कहा कि, इनसे गांव में साक्षरता की अलख जगाओं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलने से धीरे-धीरे गांव में शिक्षा का वातावरण बनने लगा। सेवा मंदिर के मार्ग दर्शन में, गांव की ग्राम विकास कमेटी का निर्माण किया और मुझे कमेटी का अध्यक्ष बनाया ।पहले गांव की सामाजिक बैठक में महिलाएं आती ही नही थी हम गांव की जाजम पर औरतों को भी जोड़ने लगे।

हमने सेवा मंदिर से कहा कि झाबला से 15 कि.मी. दूर पाटिया गांव है। वहॉ से हमारे गांव तक रोड़ नही है, कोई वाहन नही आता जाता। यदि कोई बीमार हो तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए झोली में डालकर 15 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है। सेवा मंदिर ने इस संवेदनशील मुद्दे पर गहराई से ध्यान दिया और एक लाख रू. रोड निर्माण हेतु स्वीकृत किए। गांव के लोगो ने जी तोड़ मेहनत करके रोड़ का निर्माण किया उस जमाने में रोड़ निर्माण हेतु कोई मशीन उपलब्ध नही थी हमने हाथों से और फावड़े से रोड का निर्माण किया। रोड बनने के बाद, इतिहास में पहली बार सेवा मंदिर की गाड़ी हमने झाबला आते देखी ।

धूलाराम उत्साहपूर्वक कहते हैं कि मेरे नेतृत्व मे कमेटी ने 50 हेक्टेयर का पहला साझा वन प्रबंध कार्य वन विभाग, सेवा मंदिर तथा ग्राम वासियों के तत्वाधान में किया। साझा वन प्रबंध कार्य गांव के मध्य की साईट मे लिया गया ताकि लोगो की पंहुच आसान हो ।गांव के लोगो ने

चक की दीवार बनायी, ट्रेंच खोदी तथा विभिन्न जातियों के पौधे लगाये। वे बताते है कि हमकों अतिक्रमणकारी लोगों से भी दो-दो हाथ करने पड़े। बाहरी गांव से लोग ऊंट लेकर आते और वृक्ष काटकर ले जाते, ऊंट पर लकड़ी भी ले जाते। हम गांव वालो ने उन्हें लकड़ी की चोरी करते रंगे हाथो पकड़ लिया और उन पर जुर्माना भी किया, हमने पुलिस केस भी किया। पुलिस वालो ने सख्ती बरतते हुए उन्हें रोका और जंगल से वृक्ष काटकर नही ले जाने की हिदायत दी । वहीं साझा वन प्रबंध कार्य हेतु गांव के बीच की साईट चयन करने पर पड़ोस के 10 - 15 लोग विरोध मे उतर आये परन्तु ग्राम विकास कमेटी ने उन्हें समझा बुझा कर शांत किया। साझा वन प्रबंध कार्य से गांव के लोगों द्वारा सामूहिक घास कटाई की जा रही है।

पहले साझा वन प्रंबध की सफलता से 2004 में 50 हेक्टेयर का दूसरा साझा वन प्रबंध हाथ में लिया और 2005 में तीसरा साझा वन प्रबंध कार्य हाथ में लेकर पूर्ण किया ।साझा वन प्रबंध कार्य की सुरक्षा के लिए हमने गांव के ही व्यक्तियों को लगाया और 10-15 दिन में हम स्वयं भी वहां जाते है। 2019 में ग्राम विकास कमेटी ने सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में नाबार्ड परियोजना के द्वारा 1350 हेक्टेयर मे जल ग्रहण विकास कार्यक्रम हाथ मे लेकर पूर्ण किया। झाबला गांव के 350 परिवारों ने लगभग 5 वर्ष तक झाबला गांव में मेड बंदी और जलबंध कार्य सघन रूप से करवायें। धूलाराम जी बताते है कि शुरू शुरू में कार्य मे थोड़ी दिक्कत आई। लोग कहते थे कि, इस कार्य से हमारी जमीन बिगड़ रही है। हमारी कमेटी के लोग भी सर्तक थे, हमने लोगो को समझाया की भाई आपकी जमीन नही बिगड़ेगी। हम सभी स्वयं कार्य करेगें तो खुद ही जमीन के हकदार होगें, ऐसा कर सबको समझाया। मोती डूंगरी मे जलबंध का निर्माण किया जिससे फसलों की पिलाई हो रही है और कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है ।पहले पानी की कमी थी तो

वर्ष में एक बार ही फसल ले पाते थे। अभी गेंहू, मक्का, सरसों और उड़द आदि फसले ले रहे है। इस कार्य के दौरान गांव के लोग कहते थे कि ये गोरे लोग है जो अपनी जमीन ले लेगें। मैनें, और रमेश ने तथा शांता देवी ने लोगों को समझाया कि नहीं, ये सेवा मंदिर है ये जमीन का सुधार करेंगे कुछ लेकर नहीं जाएँगें।

शिक्षा में हुए बदलाव के बारे में धूलाराम मुस्कराकर कहते है कि, सेवा मंदिर से हमको जागृति मिली है, हमें पढ़ने की सीख मिली है। आज झाबला में तीन स्कूल है कोई भी लड़का-लड़की शिक्षा से वंचित नही है। पहले स्कूल ही नही थे तो बच्चे अनपढ़ ही रहते थे, आज सेवा मंदिर की बैठक में बच्चे भी भागीदार हुए है। आज झाबला में इतना विकास हुआ है तो पास के नीचला झाबला में एक टुकड़ा अलग है जो सेवा मंदिर से वंचित है। उनकी जमीन और हमारी जमीन में रात-दिन का फर्क है उनके यहाँ पानी जमीन पर रूकता नही है। हमारे यहॉ पानी रूकता है इसलिए फसलों की पैदावार में अंतर नजर आता है। सामाजिक कुरीतियों के प्रश्न पर धूला राम जोशिले होकर बोलते है कि, पहले बच्चियों की शादी में पैसा लेते थे। हम बैठक में जाते तो वहाँ कहते थे कि आपका खून है, इनकी शादियों में पैसा क्यों लेते हो ? तब गांव वालो ने कहा कि आज से हम अपनी बच्चियों की शादी का पैसा नहीं लेंगे।

उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलने पर धूलाराम कहते है कि ये पुरस्कार मिलने पर खुशी तो बहुत हुई, हमने मेहनत भी खूब की। यह पुरस्कार मिलना सच्चे भाव से की गई मेहनत का नतीजा है।

सामाजिक बदलाव का भाव जगाया

– मदनलाल भील

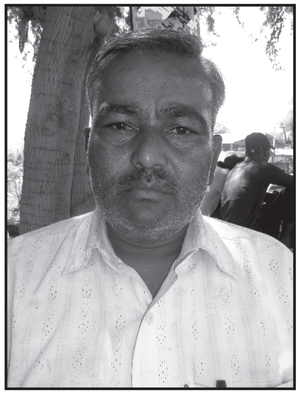

चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए,राजनीति के रंग में रंगे हुए तथा पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन मे रूचि रखने वाले 46 वर्षीय मदन लाल भील बेबाकी से अपनी बात कहते है। वे कहते हैं कि मैं कुंभलगढ़ तहसील के रोद का गुड़ा का निवासी हूँ जो लगभग 500 वर्ष पूर्व बसा था। गांव में विभिन्न जातियों के 150 परिवार निवासरत् है। पिताजी श्री हरिंग जी भील गांव के करीब 20 बीघा जमीन पर खेती करते थे,घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, मैने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की। भारत की सेना में जाने का मैने मन बना लिया था, सेना में चयन भी हो गया था लेकिन उस समय मेरे पिताजी बीमार हो गये, इसी कारण सेना में जाने का विचार रद्द हो गया। मेरे मन में वंचित समाज के बीच शिक्षा के प्रसार एवं समग्र विकास को लेकर एक भावना शुरू से ही थी। 1996 में मुझे ध्यान है कि इतनी छोटी उम्र में ही मैने गांव के स्कूल में 20 बालक-बालिकाओं का नामांकन करवाया था। दूसरी ओर रात को मैं स्वंय,

स्वयं सेवक के रूप में आखर देवरा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिला-पुरूषों को पढ़ाता भी था। सन 1996 के जुलाई माह में एक दिन ऐसे ही रात्री कालीन कक्षा में लोगों को पढ़ा रहा था तभी जिलाधीश महोदय का वहां आना हुआ उन्होनें मुझ से पूरी प्रगति की जानकारी ली। मेरे केन्द्र पर करीब 27 महिला एवं पुरूष मौजूद थे, जिलाधीश ने सभी मौजूद शिक्षार्थियों से अपना नाम पता तथा गांव का नाम लिखवाया। एक दिन कलेक्टर का प्रंशसा पत्र आया कि आपका आखर-देवरा का कार्य अति सराहनीय है, आपने अपने समाज के लिए पुनित एवं सराहनीय कार्य किया है, इसे निरन्तर जारी रखें।

मदन जी उल्लास के साथ कहते है कि मेरे 3 भाई है, 1995 मे मेरी शादी हुई, 2 बच्चे है एक लड़का 12 वी तथा एक लड़का 9 वी कक्षा में पढ़ रहा है। सरकारी योजना से अपने गांव के लोगों को फायदा दिलाना मदन जी ने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। धीरजता के साथ वे कहते हैं कि मैने मेरे गांव तथा अपनी पंचायत में हर घर को सरकारी योजना दिलाने का प्रयास किया है। पिछली बार चुनाव के दौरान पास की सुखार पंचायत में वार्ड मेम्बर का चुनाव आया तो मैने फार्म भर दिया। मेरे को गांव वालो ने कहा कि आप फार्म मत भरो क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय नहीं हो तभी गांव की महिलाओं ने कहा कि ये मदन जी भील है, रोद का गुड़ा के रहने वाले है, सरकारी योजनाओं पर कार्य करते हैं, हर गुरूवार को बैंक में आकर दूसरों के लिए विड्रोल भरते हैं। ऐसे में लोगो ने मेरे को 151 वोटो से जीता दिया। एक बार जिला प्रमुख का भी चुनाव लड़ा लेकिन मात्र एक वोट से चुनाव हार गया, वर्तमान में सूखार पंचायत में मेरी धर्म पत्नि उप सरपंच है।

हमारा गांव 2002 में डी. पी. आई. परियोजना के माध्यम से सेवा मंदिर के संपर्क में आया। वर्ष 2009 सर्वप्रथम गांव को जोड़ने के लिए

ग्राम विकास कमेटी का निर्माण किया मुझे सचिव बनाया। मैने गांव के हित में सामाजिक सुधार की दिशा मे कार्य करते हुए लोगो को शराब बंदी, नाता प्रथा, बालविवाह और मृत्यु भोज आदि कुरीतियों को मिटाने के लिए जागरूक किया। शिक्षा के प्रति मेरे भील समाज के बालक-बालिकाओं के लिए दो बीघा जमीन आवंटित करवाई एवं निशुल्क पट्टा भी दिलवाया। मेरा मूल विचार है कि व्यक्ति स्वयं जागरूक होगा तो समाज भी जागरूक होगा। मेरे समाज के बालक-बालिकाओं को खेल की तरफ रूझान बढ़ाकर जिला स्तरीय खो-खो, कबड्डी तथा मैराथन दौड पर भी पुरस्कार प्राप्त किया। 2009 में काया में सरकारी योजना का एक प्रशिक्षण हुआ जिसमें मुझे योजनाओं की जानकारी मिली। हमारे गांव मे वैष्णव, राजपूत, सुथार तथा भील समाज के लोग रहते है, वे सदियों से कभी एक जाजम पर नहीं बैठे। हमारे भील समाज के साथ सामाजिक भेदभाव होता था, उच्च जाति के लोग चबूतरे पर बैठते थे और हम लोग नीचे बैठते थे,जब सेवा मंदिर गांव में आया तो सेवा मंदिर ने कहा कि भाई हम तो चबूतरे पर नहीं बैठेगें, हम नीचे ही बैठेगें तभी वे लोग भी नीचे आ गये और सदियों बाद एक जाजम पर बैठकर गांव के विकास की बात करने लगे।

सामूहिक हित के लिए संघर्ष की बात करते हुए मदनलाल ने निर्भीक होकर कहा कि 2010 में आरंभ हुई पेयजल के मुख्य स्त्रोत सार्वजनिक कुँए से अज्ञात व्यक्ति ने मोटर चुरा ली, ग्राम समूह के लोग अपने स्तर पर खोजबीन करते रहे तब उन्हें पता चला कि एक प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति के इशारे पर सार्वजनिक कुँए से मोटर चुराई है। यह प्रभावशाली व्यक्ति स्थानीय पटवारी एवं रेवेन्यु इंस्पेक्टर से सांठ-गांठ कर गांव की चरागाह भूमि पर अपने कब्जे को बढ़ाता जा रहा था। सेवा मंदिर की प्रेरणा से हम ग्राम समूह के सभी सदस्य एकत्रित होकर एक बैठक बुलाई एवं कब्जेधारी के सामूहिक बहिष्कार का निर्णय लिया। यह भी

तय किया गया कि जो कब्जे धारी का साथ देगा उस पर समूह द्वारा 1100 रू का जुर्माना किया जाएगा। अपने सामूहिक हित के लिए लोगो द्वारा लिए गए कड़े एवं उचित निर्णय का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस निर्णय के बाद कब्जेधारी बौखला गया उसने समूह सदस्यों को धमकियां देना आरंभ कर दिया, यहीं नही एक सदस्य पर जानलेवा हमला भी किया इन दबावों के बावजूद हम लोगो ने अपना संघर्ष जारी रखा।

सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में और ग्राम विकास कमेटी के माध्यम से गांव की 16 हेक्टेयर जमीन पर हमने चरागाह चक विकसित करने का बीड़ा उठाया। दूसरे गांव के दो बाहुबली परिवारों ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। मैं कमेटी का सचिव था, कमेटी ने बैठकर निर्णय लिया कि हम अतिक्रमणकारियों को हटाएगें।हम गांव के लोगो ने तहसीलदार, एस.डी.एम. तथा जिलाधीश को ज्ञापन दिया परन्तु तब भी अतिक्रमण नहीं हटा, क्योंकि वे अतिक्रमणकारी इतने पावरफुल थे कि हम एक रूपया खर्च करते तो वे 10 रू. खर्च करते । हम लोग 25,000 रू. जे. सी. बी. और ट्रेक्टर वालों को कब्जा हटवाने के लिए देते तो वे 50,000 उनको देते और जे.सी.बी. और ट्रेक्टर ट्रोली को गांव में आने ही नही देते थे।आखिरकार 8 अप्रेल 2011 को एस. डी. एम. सा. और कलेक्टर सा. आये और कब्जेधारियों को जमीन से बेदखल कर चारागाह भूमि के 7 बीघा कब्जे को मुक्त करवा लिया।इस पूरी प्रकिया में हम ग्रामवासियों को 70,000 रू खर्चे करने पड़े यह राशि हमने आपस में चंदा कर एकत्रित की थी। कब्जेधारी इससे भी संतुष्ट नही हुए और उन्होंने हम 7 व्यक्तियों पर राजसमंद और जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। लगभग 9 वर्ष तक मुकदमे का हमने सामना किया तब जाकर गांव में लगे प्रशासन संग गांवों की ओर शिविर में गांव वालो ने मुकदमा जीता।

कोरोना समय में भी आपने राशन वितरण में काफी सहयोग किया एवं सेंटर पर ठहराए गए लोगों के खाना पीना उपलब्ध करवाने में भी मदद की एवं भामाशाह की मदद से गांव के जरूरत मंद लोगों को राशन किट दिलवाया व जरूरत न होने से स्वंय राशन किट नहीं लिया।

हमारे गांव के संघर्ष से प्रभावित होकर पास की अंटालिया पंचायत में 12 ग्राम विकास कमेटियों का निर्माण हुआ है और वे सक्रिय होकर ग्राम विकास का कार्य कर रही है और यहॉ के लोग अपने चारागाह को कब्जामुक्त करवाने की मुहिम में जुड़े हुए है। इसी के साथ निचली भागल, शोभावतों की भागल, राती तलाई, झरडाया तथा करेडों का गुड़ा में कमेटिया बनाई है जो तन-मन से ग्राम विकास का कार्य कर रही है। सेवा मंदिर के जुड़ने से क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण बदला है,पहले गांव में लड़कियों को पढ़ाया नही जाता था क्योंकि गांव के लोग लड़कियों की पढ़ाई का महत्व नही समझते थे। आज रोद का गुड़ा गांव से हर लड़की और लड़का स्कूल में पढ़ रहे है। पास की अंटालिया क्षेत्र में भी जागृती आयी है वहाँ भी शिक्षा में बदलाव हुआ है, घर-घर से लड़का हो या लड़की सभी स्कूल जा रहे है।

उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मिलने पर मदन जी खुश होकर कहते है कि सेवा मंदिर का आभार, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पुरस्कार के लिए मुझे चुना।

मेरे संर्घष का यह आधार
गांवों को मिले वन अधिकार

– सूरजमल गमार

शरीर दुर्बल पर हौसलां बुलंद झाड़ोल प्रखण्ड् के परदा गांव निवासी सूरजमल गमार एक अजीब सी खामोशी के बाद बंया करते है कि अब उम्र का पड़ाव 65 वर्ष हो चुका है। मेरे माता-पिता संसार से अलविदा हो चुके है, चार भाई है, दो पुत्र और एक पुत्री है जिनकी भी शादी हो चुकी है। मैं पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी से नहीं।

बचपन की सूरजमल की जिंदगी कठिनाईयों भरी जिन्दगी रही है, वे थोड़ा रूककर बताते हैं कि जब माता पिता जिंदा थे तब घर में अनाज नही मिलता था। पानी की कमी थी, समय का कुचक्र चला, खेतों में मोटा अनाज जैसे समलाई, कोदरा, माल और बट्टी पैदा करते थे। आज स्थिति बदली है मक्का, गेहूं और सायोबीन भी ले रहे हैं।

शुरूआत में 1982 मे सेवा मंदिर के हेमराज जी भाटी से मेरी

मुलाकात हुई, तब उन्होनें कहा कि सेवा मंदिर आपके गांव में प्रौढ शिक्षा लेकर आया है आपको जुड़कर इस मिशन में कार्य करना है। तब मैने परदा गांव में 2 वर्ष तक रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाया, बाद में 10 वर्ष तक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाकर लोगों को शिक्षित किया।

मैं इसी दौरान सेवा मंदिर के कार्य को पूरी तरह मुश्तेदी के साथ समझ गया था, उन दिनों में वन उत्थान संस्था के सम्पर्क में आया। जंगलों का संरक्षण एवं संवर्धन और सामूहिक वन अधिकार आदि शब्द मेंरे मस्तिष्क में कुलबुलाते रहे। वर्ष 2005-06 में इसी मिशन के तहत् वनों की सुरक्षा का दायित्व मुझे मिला। वर्ष 2016-17 में 23.17 हेक्टेयर का जंगल सेवा मंदिर और गांव के 37 परिवारों ने मिलकर विकसित किया। जंगल मे ट्रेंच एवं गड्डे खोदे साथ ही पौधरोपण भी किया। करीब 60 परिवारों ने जंगल में कब्जा कर रखा था, गांव वालों ने उनके साथ बार बार बैठक करके समझाइश की और समझाइश करते हुए कहा कि, जंगल गांव वालो का है, यदि जंगल नही होगा तो फल,पेड़ पौधे और घास नही होगी, एसे में हम वनवासियों का जीवन कठिन हो जाएगा। बार बार बैठकें करने के बाद अतिक्रमणकारी माने और जंगल को अतिक्रमण से मुक्त कराया। मेरे गांव परदा में, पांच-पांच महिलाओं को वन की सुरक्षा के लिए तैनात किया। महिलाएं गश्त पर जाती,वन की सुरक्षा करती और सूखी लकड़ी लाती थी वहीं पांच-पांच पुरूष भी जंगल की सुरक्षा पर जाते थे।

इसी दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए सूरजमल ने कठोर होकर बताया कि परदा गांव की 23 हेक्टेयर जमीन के वन अधिकार के लिए फाईल तैयार कर पंचायत में जमा करा दी। वहाँ पर सरकार के अधिकारी, फोरेस्टर, पटवारी पंचायत सचिव और पंचायत के सरपंच रामलाल ने मिलकर फाईलें निरस्त करवा दी। इस घटना के तुरंत बाद

पूरा परदा गांव एकत्रित हुआ और संघर्ष के लिए तैयार हुआ, आस पास के गांवो में खबर फैली तो रोहिमाला, सांईवाडा, बांसीवाड़ा, डाबला, उपली बिरोठी, निचली बिरोठी, अदकालिया, अटवाल, दोब और नेवज गांव के वन प्रेमी लोगो ने मिलकर सामुदायिक वन अधिकार को लेकर बैठक की और फाईलें तैयार की जिसमें से तहसील स्तर पर 92 गांवों में सामुदायिक वन अधिकार पंचायतों के सहयोग से मिल गये। बाकी गांवों के लिए पूरी तरह से संघर्षरत् है। सामुदायिक वन अधिकार मिलने के बाद परदा में फरवरी 2023 से वन विभाग द्वारा दो जलबंध एवं 22.23 हेक्टेयर में चेकडेम का कार्य प्रारम्भ हुआ है। गांव की ग्राम विकास कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते पूरे गांव को इस कार्य में जोड़ा। चेकडेम कार्य के बाद इस पर चारदीवारी बना कर इसे सुरक्षित किया जाएगा।

मुझे उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार से नवाज़ा गया मैं इसे सेवा मंदिर की ही देन मानता हूँ क्योंकि मेरे में सेवा मंदिर ने ही काबिलियत प्रदान की। मुझे सेवा मंदिर पर पूरा विश्वास है यह एक ईमानदार संस्था है, एक पैसे की भी गड़बडी कभी देखी नहीं इसी वजह से मुझ में आत्मविश्वास भरा हुआ है।

पानी और वानिकी समृद्धि से हर कोई गांव में बेटियां ब्याहते।

– अर्जुन सिंह

झाड़ोल प्रखण्ड का कितावतों का वास लगभग 1000 लोगों की आबादी वाला बड़ा गांव है। किस्मत से 1982 में सेवा मंदिर को प्रौढ शिक्षा लेकर आया। मुझे अनुदेशक बनाया और धीरे-धीरे मैं सेवा मंदिर से जुड़ता चला गया। यह कहना है गरीबी में संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले 58 वर्षीय अर्जुन सिंह सोलंकी का। वे बताते हैं कि मैं जब 7 वर्ष का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। एक समय वो था जिसमें मुझे स्कूल की फीस के पैसे भी नही मिलते थे, इसी संघर्ष में जैसे तैसे आठवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की।

माताजी की मृत्यु के पश्चात्, परिवार में पति-पत्नि सहित 5 बच्चे है जो काम भी कर रहे है और कुछ पढ़ भी रहे है। वे बताते हैं कि पहले समाज की बैठक होती थी तो दूसरे गांव के लोग मुंह पर कहते थे कि कितावतों के वास में गाड़ी नहीं जाती, घोड़ा नही जाता पूरा गांव एकांत में है और गांव में सूखे की बयार बह रही है। ऐसे में वहाँ बेटी को ब्याह

कर क्या करे ? उसी उधेड़बुन में हम रहते थें। पहले गांव में खेती नही के बराबर थी क्योकि पानी नही था, सड़क नही थी और उजाला नही था। ऐसे में सेवा मंदिर ने सबसे बड़ा काम यह किया कि ग्राम समूह के सहयोग से कुआँ खुदवाया और उस पर जलोत्थान सिंचाई का कार्य प्रारम्भ किया। इस कार्य में गांव के लोगों ने पच्चीस प्रतिशत राशि श्रमदान के रूप में ग्राम विकास कोष में जमा करवायी ।

इस कार्य की बदौलत कितावतों के वास में गांव के 42 परिवार के लोग आज गेहूँ, चना, सरसों, अदरक, रतालु, अरवी, उड़द तथा तिल्ली की फसल ले रहे है। जलोत्थान सिंचाई योजना से पूरे गांव में बड़ा बदलाव आया है, आज आजीविका परिपक्व रूप में चल रही है। कितावतों के वास गांव में ग्राम समूह की बैठक हर 2 माह में एक बार होती है। सिंचाई योजना का हिसाब-किताब रखने हेतु एक कमेटी बनाई गयी है जो किसानों का पूरा हिसाब-किताब रखती है । फसल की बुवाई से पूर्व बैठक होती है। बैठक में किस किसान ने कितना घण्टा पानी लिया, इसका हिसाब रखा जाता है। हमने बैठक में तय कर रखा है कि एक किसान परिवार 42 यूनिट तक बिजली खर्च कर पानी ले सकता है। इसके आगे प्रति यूनिट 40 रू. वसूल किया जाता है।

वर्ष 1999 में समीपवर्ती ग्राम गाल्दर के जंगल में 15 परिवारों का कब्जा था। जंगल में बडे पैमाने पर अवैध कटाई भी जोरों से चल रही थी। अर्जुन सिंह ने स्थानीय लोगों को संगठित कर वन विभाग का सहयोग लेकर कब्जेधारियों को हटाने के प्रयास आरम्भ किए। अथक प्रयासों के बाद 10 परिवारों के कब्जे ही हट पाए, अर्जुन सिंह लगातार अवैध कटाई की खिलाफत करते रहे। स्थानीय स्तर पर यह संघर्ष 6 साल तक चलता रहा । इस बीच अर्जुन सिंह को कब्जेधारियों द्वारा जान से मारने की धमकियां भी दी गई इसके बावजूद श्री अर्जुन सिंह शांतिपूर्वक वन संरक्षण के पुनीत कार्य में डटे रहे। उन्होनें 5 अतिक्रमियों

के विरूद्ध, कोर्ट में केस दायर कर दिया । यह केस 6 वर्ष तक चला,अन्ततः न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला कर कब्जेधारियों को वन भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। इस प्रकार, अर्जुन सिंह के संघर्ष की विजय हुई। 2005 में वन भूमि पर वन विभाग के सहयोग से गाल्दर ग्रामवासियों के साथ 50 हेक्टेयर भूमि पर मृदा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण पूर्ण करवाया। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में यह वन क्षेत्र सुरक्षित एवं प्रबन्धित है।

इस सफलता से प्रेरित हो 2009 में श्री अर्जुन सिंह ने अपने गांव की बंजर पड़ी 11 हेक्टेयर चरागाह भूमि पर कोट निर्माण,मृदा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य सेवा मंदिर के सहयोग तथा स्थानीय लोगो के श्रमदान से पूर्ण करवायें। वर्तमान में यह चरागाह भूमि पूर्णतः प्रबन्धित एवं सरंक्षित है एवं यहाॅ से स्थानीय परिवारों को घास मिल रही है। अर्जुन सिंह का कहना है कि व्यवस्था भी हमने तय की थी कि 100 घास के पूले एक व्यक्ति काटे तो 100 पुले दूसरा व्यक्ति काटेगा। यहीं नहीं, गांवों में वन विभाग द्वारा चरनोट का कार्य किया जा रहा था, लोग कार्य के दौरान सागवान के पेड़ काटकर ले जा रहे थें, तब हमारे ग्राम समूह ने उनको रोका।

श्री अर्जुन सिंह ने समीपवर्ती गड़ला गांव में बिलानाम भूमि पर एवं गेजवी गांव में चरागाह भूमि से कब्जे हटाकर दोनो गांवो में सामूहिक भूमि के विकास हेतु अथक प्रयास किए परन्तु कब्जेधारियों को प्राप्त राजनैतिक प्रश्रय के कारण, इन्हें अपने प्रयासों में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई।

गांव में स्कूल नहीं था सेवा मंदिर ने मुझे कहा कि जो भवन सेवा मंदिर ने बनाया है उस पर केलू गांव वाले डाल दें तो मास्टर की व्यवस्था सेवा मंदिर कर देगा। क्योंकि मैं सेवा मंदिर का शिक्षा केन्द्र चला रहा था, तो

मुझे ही कहा कि आप स्कूल चलाओं। थोड़े दिन बाद सेवा मंदिर और ग्राम समूह ने मिलकर एक प्रार्थना पत्र सरकार को दिया परिणाम स्वरूप मास्टर की व्यवस्था सरकार द्वारा हो गयी ।

गांव अब जागृति पर था, गांवों में सड़क नही थी कोई बीमार हो जाता तो उसको झोली में ले जाना पड़ता था। शादी ब्याह में पैदल ही जाना पड़ता था, ऐसे 7 –8 गांव के लोगों को लगा कि अब रोड़ के निर्माण के लिए जमीन हम देगें पर रोड़ बनना चाहिए। सेवा मंदिर के मार्गदर्शन में राणपुर, वागंली, ढीगली, और गवाणियां गांव तक करीब 10 कि.मी. रोड़ गांव के लोगो ने बनवाई, सड़क बनने के पश्चात् गांव में उजाला भी हो गया एक तरह से गांव की रंगत ही बदल गयी। आज कितावतों का वास समाज में एक नंबर का गांव है। आज खुशी–खुशी दूसरे गांव के लोग बहन–बेटी ब्याहनें को तैयार है।

सेवा मंदिर और सरकार के कार्य करने के तरीकें के बारे में अर्जुन सिंह बताते है कि हमारे गांव के पास गडला और बामणी दो गांव है वहॉ सरकार ने जलोत्थान सिंचाई योजना शुरू की । कालान्तर में ग्राम समूह में ही विवाद हो गया ओर यह योजना फेल हो गई। इन गांवों के लोग हमारे पास आये और सेवा मंदिर के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की और वे संस्था से जुड़े। सेवा मंदिर ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। मैं जहाँ भी बैठक में जाता हॅू तो सबसे पहले सेवा मंदिर का उदाहरण जरूर देता हूँ कि संस्था ने शुभ हाथों से जलोत्थान सिंचाई योजना का कार्य किया उससे हमारे गांव में लोगों के जीवन की रंगत ही बदल गयी। अपने गांव मे ग्राम विकास के प्रति समर्पित अर्जुन सिंह वार्ड पंच होने के साथ साथ बिरोठी लेम्पस के उपाध्यक्ष भी चुने गए। वहीं अपने नेतृत्व क्षमता के चलते 22 गांवो की परम्परागत जाति पंचायत के सदस्य भी नियुक्त किए गए।

बचपन में बहादुर रामलाल धीरे-धीरे किया आजीविका का कमाल

– रामलाल पारगी

कोटड़ा प्रखण्ड के मेड़ी गांव निवासी रामलाल पारगी का बचपन बहुत गरीबी मे बीता अपने गांव मेड़ी से कोटड़ा करीब 15 किलोमीटर की दूरी पैदल नापकर पढ़ाई करने जाते थे। पढ़ाई के दौरान ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गयी थी तभी 10 वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर घर का कार्य करने लगे। रामलाल स्कूल में बहादुरी के कारनामें दिखाते थे। वे बताते है कि कोटड़ा में जब मैं सातवी कक्षा में पढ़ रहा था, तो एक कार्यक्रम के दौरान नदी से जिंदा सांप पकड कर ले आया और कार्यक्रम में मैने मुरली बजाकर सांप के साथ प्रदर्शन किया। ऐसा कार्यक्रम देखकर दर्शक सब भौंचक्के रह गये। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई व शाबाशी दी। रामलाल सहज अंदाज में कहते है कि मेरे चार भाई व 6 लड़कियां और 2 लड़के है एक का नाम आनंद कुमार, एक का नाम आजाद कुंवर, बड़ी लड़की का नाम अमेरिका, दूसरी का नाम जापान, तीसरी का नाम मलेशिया, चौथी का

नाम जर्मनी, पांचवी का नाम इण्डिया और छठी का नाम इटली रखा है। रामलाल जोश भरकर कहते है कि 1983 में राजनीति में कम्यूनिस्ट पार्टी का सचिव था उसी दौरान मामेर गांव में मेला लगा, मेले में दलाल लोगों ने मेला लुटवाया और मुझे झूठा फंसाया। लगभग 15 वर्ष तक मुझे मुकदमा लड़ना पड़ा।

अपनी बेटियों का नाम विदेशी रखने पर वे दिलचस्प अंदाज में बोलते है कि, अकाल के समय कुंए में पानी खत्म हो गया तो विदेशी लोगों ने ही मेरा कुंआ खोद कर गहरा करवाया और मेरी लड़की की शादी में मुझे आर्थिक मदद भी उन्हीं लोगों ने की।सेवा मंदिर से जुड़ाव के बारे में रामलाल उत्साह के साथ कहते है कि 1986 में कोटड़ा में भंवर पानेरी परियोजना अधिकारी थे, उसी दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए अनुदेशक का साक्षात्कार हो रहा था, मुझे पास कर लिया ।मेरे गांव मेड़ी के केन्द्र पर 40 लड़के 15 से 35 वर्ष की आयु के पढ़ने आते थे। मेरी बहन भी कभी स्कूल नही गयी थी उसी दौरान उसका मैने 20 तक पहाड़ा और 100 तक गिनती सिखाई बाद में वो भी अनुदेशक बन गई ।मैंने लगभग 3 वर्ष तक केन्द्र चलाया, साथ ही घरेलू उपचार कार्यकर्ता और कृषि कार्यकर्ता के रूप में काम करना रामलाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मैने 60 हेक्टेयर जमीन पर नाकोला गांव में चरनोट का कार्य प्रारम्भ किया, वहां बाउण्ड्रीवाल बनवाई और 1000 के करीब पौधे लगाये । तत्पश्चात् मेड़ी गांव मे जब 200 हेक्टेयर का चरनोट का कार्य प्रारम्भ किया तो वहां चरनोट सीमा पर झगड़ा था, तनाव था, अतिक्रमणकारी तीर कमान लेकर झगड़ा करने आते थे। दो-तीन बार तो आमने सामने भी झगड़ा हो गया ।ये लोग मेड़ी के पास घोड़ामारी के थे, हम गांव के लोग सेवा मंदिर के सहयोग से चरनोट निकालना चाह रहे थे वहीं अतिक्रमणकारी हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। धीरे-धीरे

मेड़ी गांव के लोगो के जज्बे की वजह से अतिक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा और हमने चरनोट का कार्य प्रारम्भ किया।इसी तरह पास के गांव कोलदरा में भी 30 हेक्टेयर जमीन पर चरनोट चक का कार्य प्रारम्भ किया तो वहां भी एक अतिक्रमणकारी दहाड़ कर बोला यह जमीन मेरी है, यहाँ मेरा मकान बन रहा है। इस चक में लगभग 15 काश्तकारों ने कब्जा कर रखा था। कोलदरा गांव की बहादुर महिला झेलकी बाई ने हमारा साथ दिया और हम अतिक्रमण हटाने मे सफल हो गये। अतिक्रमण हटाने से ग्राम सहयोग द्वारा वहॉ चरनोट चक की दीवार बनायी और पौधे लगाये। रामलाल ने मेड़ी सहित 7 गांवों में अपनी पहल से तथा सेवा मंदिर के सहयोग से जल ग्रहण परियोजना को संचालित करवाया।

संघर्ष के पर्याय रामलाल से जब दाल मिल के बारे में पूछा तो गर्व से कहते है कि जमीन पर जेठा भाई का कब्जा था और उन्होंने विरोध किया इसके बावजूद न तो गांव पीछे हटा न ही मैं। संघर्ष के उस दौर मे मुझे दो बार जेठा भाई ने पीटा और एक बार भारमल ने पीटा, लेकिन मैं पीछे नही हटा।पटवारी को बुलाया फीते से नापकर 2 बीघा जमीन दाल मिल के लिये हासिल की और भवन का निर्माण भी कर दिया।सन् 2000 मे मै ग्राम विकास कमेटी का अध्यक्ष था। मेड़ी में सेवा मन्दिर के सहयोग से सामुदायिक भवन का निर्माण किया, गांव के किसानो की खेती मे उडद, मूंग, तूअर पकते थे तो किसान फसल गुजरात बेचने के लिए जाते थे। गांठ का किराया लगता एवं व्यापारी कम दाम पर फसल ले लेते थे। ये किसानों के लिए मंहगा पड़ रहा था। ग्राम समूह एवं सेवा मंदिर ने मिलकर एक जाजम पर बैठकर विचार किया कि क्या किया जाए जिससे हमारे किसान भाई फायदे में रहे।सेवा मंदिर के मार्गदर्शन से मेड़ी गांव में हमने दाल मिल बनाया। 18 बोरी तुअर खरीदी और अच्छा भाव आने पर बेची तो 1000 रू. प्रति बोरी का फायदा हुआ।क्षेत्र के चार गांव

मेड़ी, नाकोला, हंसरेटा ओर कोलदरा गांव के किसानो के लिए तूअर मूंग और उडद की फसलों के फायदे के लिए दाल मील का निर्माण किया। स्थानीय बाजार में किसानों के तुअर और मूंग का वाजिब दाम नहीं मिलता था आधी दर से व्यापारी खरीदते थे। हमने किसानों को मण्ड़ी की दर पर भुगतान किया। इस वर्ष हमने दस लाख रू. के तुअर और दस लाख रू. के मूंग खरीदे हैं। वर्तमान मे दाल मिल उदयपुर आ गयी है। पंचायत के संरपच नारायण लाल भी कहते है कि राम जी आपकी हिम्मत, हौसले और संघर्ष के आगे सभी बेमानी है। छोटे व्यापारी को बड़े व्यापारी लूट रहे थे व्यापारी हमसे नाराज भी हुए पर किसानों को फायदा हुआ यह मन की खुशी है। मेड़ी में दाल मील खुलने से आस पास के गांवों में भी जागृति आयी। हमने मामेर में, चीखला में और महाड़ी मे केन्द्र खोले हैं जहां के किसान अपनी फसल वहाँ पर भेज सके। उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार मुझे दिया गया, यह सूचना पाकर मै बहुत खुश हुआ, पुरस्कार मिलने का श्रेय मै मेरे गांव वालो को देता हूँ जिन्होनें दाल मिल हेतु फसलें हमें दी, जिसकी वजह से दाल मिल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। रामलाल सरकारी योजना का लाभ जन साधारण तक पहुँचाने का पुनीत कार्य भी सक्रियता से अनवरत कर रहे हैं।

सेवा मंदिर के सामूहिक संसाधन कार्यक्रम की यात्रा

सेवा मंदिर की शुरूआत डॉ. मोहन सिन्हा मेहता ने वर्ष 1968 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से की। उस दौरान उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के लिये कोई सुगम रास्ते नहीं थे, ना ही बिजली ना ही अन्य कोई सुविधा थी। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को रात में पढ़ाना शुरू किया। दिन में लोग गाय, बकरी चराने, खेती एवं मजदूरी का कार्य करते एवं रात में लालटेन की रोशनी में प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करते थे।

धीरे-धीरे लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा, लोगों से फिर बातचीत की; अपना नाम लिखना सीख गए, थोड़ा पढ़ना-लिखना भी सीख गए, तो इससे आपको कैसा लगता हैं? क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? अधिकतर लोगों ने कहा कि लिखना तो सीख गए, पढ़ना सीख गए,

जोड़, बाकी, गुणा करना भी सीख गए, परंतु इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। ठीक है, पढ़ना-लिखना सीखे हैं हमारे में थोड़ा ज्ञान आया है, परंतु जब तक हमारी जमीन नहीं सुधरेगी, हमारी खेती नहीं सुधरेगी, हमारे पशु नहीं सुधरेंगे, हमारे जंगल नहीं सुधरेंगे और हमारी आजीविका में वृद्धि नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में बदलाव आना मुश्किल हैं। हम नाम लिखना तो सीख गए परंतु हमको वही काम करना है, वही जंगल से लकड़ी लेकर आना है, वही पुराने तरीके से खेती करनी है, आदि।

इससे यह निकलकर आया कि शिक्षा के साथ-साथ आजीविका में बढ़ोतरी एवं प्राकृतिक संसाधन में सुधार हो, पर कार्य करना चाहिए। कृषि कार्यक्रम, ''लैब टू लैंड'' प्रोग्राम जिसमें कृषि वैज्ञानिक दिल्ली में रिसर्च करते एवं कृषि के नये-नये तरीके बताते थे परंतु ग्रामीणों को जानकारी नहीं मिल पाती। सेवा मंदिर ने कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से लोगों को कृषि की जानकारी उपलब्ध करवाना शुरू किया। किसानों के खेतों पर मृदा जल संरक्षण हेतु मेड़बंदी का कार्य शुरू किया।

इसके थोड़े समय के बाद ही ''वेस्ट लेण्ड डेवलपमेंट बोर्ड'' से सेवा मंदिर को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिला जिसमें वृक्षारोपण के माध्यम से किसानों की बंजर भूमि को पुनः हरी-भरी की जा सके। इस पर सेवा मंदिर ने कार्य शुरू किया। गाँवों में ही किसानों को प्रशिक्षित करके 4-5 लाख तक पौधे तैयार करने हेतु पौधशाला तैयार करवाई गई। प्रत्येक नर्सरी 5000 से 10,000 पौधों की होती थी। इनसे तैयार पौधों को किसानों ने अपनी बजंर भूमि पर वृक्षारोपण किया, जिनमें उनकी जमीन में काफी सुधार हुआ एवं लोगों का जुड़ाव बढ़ा। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव स्तर पर वनपाल एवं क्षेत्र स्तर पर वन सहायक के माध्यम से स्थानीय लोगों का एक केडर तैयार हुआ जिसने सेवा मंदिर के धरातलीकरण में काफी योगदान दिया।

लोगों ने बताया कि मेडबंदी, व्यक्तिगत वृक्षारोपण से हमारी खेती, बीड़ में सुधार हुआ है परंतु हमारे गांव की सामूहिक भूमि (चरागाह) पर तो लोग कब्ज़े कर रहे है। यह जमीन बेकार पड़ी है। लोग खुली चराई करते है, लकड़ी काटकर ले जाते है। धीरे-धीरे इस जमीन पर कुछ ही लोगों के कब्जे हो ज़ायेंगे। गांव वालों के पास सामूहिक भूमि नहीं बचेगी। सेवा मंदिर ने 1986-87 में सामूहिक जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य बड़गांव प्रखण्ड से शुरू किया।

सामूहिक जमीन पर कार्य करने के लिए पूरे गांव को एक जाजम पर लाना कठिन था परंतु गांव वालों एवं सेवा मंदिर के सतत् प्रयास से सभी जाति, अमीर-गरीब, महिला-पुरूष एक जाजम पर आकर सामूहिक जमीन को पुर्नजीवित करने का बीड़ा उठाया। आज 350 से ज्यादा चरागाहों पर सेवा मंदिर कार्य कर चुकी है। इनमें से अधिकतर चरागाह भी आज सुरक्षित एवं व्यवस्थित है। गांव वाले इनका व्यवस्थित प्रबंधन कर रहे एवं चारा तथा अन्य उत्पाद का सामूहिक रूप से लाभ ले रहे है। चरागाहों के प्रबंधन की क्या व्यवस्था होगी गांव वाले स्वयं तय करते है एवं नियमित रूप से जाजम के माध्यम से सामूहिक निर्णय ले रहे है।

वर्ष 1991 में साझा वन प्रबंधन का कार्यक्रम आया जिसमें स्थानीय ग्रामीण, संस्था एवं सरकार मिलकर वनों को बचाने एवं पुर्नजीवित करना था। सेवा मंदिर ने इस कार्यक्रम से जुड़कर 31 साझा वन प्रबंध एवं 6 प्राकृतिक वनों को संरक्षित एवं संर्वधन किया। राजस्थान में सर्वप्रथम साझा वन प्रबंधन कार्य झाड़ोल प्रखण्ड के श्यामपुरा गांव में सेवा मंदिर के माध्यम से किया गया।

इसी तरह से 18 देववन, बनी या ओरण को गांव-फलों के सहयोग से पुर्नविकसित किया। इन सभी के द्वारा सेवा मंदिर को 15,000 से

अधिक हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबन्धित करने का अवसर मिला।

इस कार्य की शुरूआत श्री उम्मेदमल लोढ़ा ने की। नीलिमा जी, हेमराज जी भाटी एवं एस.एन. भिस्से के साथ मिलकर एक तरह की टीम बनी और यह काम आगे बढ़ता गया।

वृक्षारोपण में हम कहीं-कहीं असफल भी हुए, परंतु दानदाताओं ने भी हम पर विश्वास किया। स्थानीय लोगों को पहले तो लगता था कि वृक्षारोपण से हमारी जमीन चली जायेगी परंतु सतत् प्रयास से लोगों का विश्वास बढ़ता गया एवं जुड़ते गये। स्थानीय संगठन काफी मजबूत बने जिससे इसके प्रबंधन एवं संरक्षण में सहयोग मिला। इस कार्य में लोगों को घास, लकड़ी एवं अन्य उत्पाद का काफी फायदा हुआ एवं हो रहा है।

वर्ष 2008 में सामुदायिक वनाधिकार एक्ट आया जिसमें गांव वाले मिलकर अपने स्थानीय जंगल की प्रबंधन व्यवस्था बनाना चाहते है तो

वन विभाग उनको प्रबंधन का अधिकार दे सकती है। वर्ष 2008 में सेवा मंदिर ने लोगों के साथ मिलकर 300 के आसपास सामुदायिक वनाधिकार की फाईल सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की। नियमों की पूरी स्पष्टता के अभाव एवं सरकार की अनदेखी से लोगों को स्वीकृति हेतु काफी कोशिशे करनी पड़ी। वर्ष 2017 में राजस्थान में सर्वप्रथम सेवा मंदिर के माध्यम से 17 CFR के पट्‌टे गांव वालों को मिले कुछ समय बाद 2 पट्‌टे और मिले। वर्ष 2023 में और स्वीकृति मिली। इस प्रकार कुल 292 गांवों में करीबन 38,500 हैक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वनाधिकार की स्वीकृति मिली।

सेवा मंदिर के पूरे क्षेत्र में सामूहिक संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं संर्वधन की समझ बढ़ती गई एवं लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया। साथ ही लोगों में इस कार्य को अपना समझा एवं सहयोग किया। उम्मेदमल लोढ़ा पर्यावरण पुरस्कार के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण जो पर्यावरण संरक्षण में सहयोग कर रहे थे उनको सम्मान मिला एवं इस कार्य की पहचान बनी। मुझे लगता है कि वृक्षारोपण एवं सामूहिक जमीन पर सेवा मंदिर का कार्य काफी लंबा है। इस कार्य में लोग जुडते गये एवं सतत् कार्य जारी रहा। मैं सेवा मंदिर का आभारी हूँ कि मैं भी इस मुहिम में जुड़कर अपना कुछ सहयोग दे सका।

नरेन्द्र जैन
महासचिव

SEVA MANDIR

www.sevamandir.org
Old Fatehpura, Udaipur - 313 004 Rajasthan India
Phone: 91 - 294 - 2451041/2450690 Fax: 91 - 294 - 2450947